Mains Exam Series

दृष्टि The Vision

आई.ए.एस.

मेन्स सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन एवं निबंध

तृतीय संस्करण

- भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व इतिहास
- भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय समाज
- भारतीय संविधान, शासन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
- अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षा
- जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन
- नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

विगत वर्षों के आई.ए.एस. (मुख्य परीक्षा)
के प्रश्नपत्रों का खण्डवार हल

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
(Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक परीक्षा)
(19 बुकलेट्स) ₹10,000/-

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(26 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रारंभिक परीक्षा)
(27 बुकलेट्स) ₹13,000/-

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(31 बुकलेट्स) ₹15,000/-

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(39 बुकलेट्स) ₹17,500/-

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय)
₹7,000/-

इतिहास (वैकल्पिक विषय)
₹7,000/-

दर्शन शास्त्र (वैकल्पिक विषय)
₹5,000/-

For UPSC CSE (in English Medium)

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

- Prelims (18 GS + 3 CSAT Booklets) ₹10000/-
- Mains (18 GS Booklets) ₹11000/-
- Prelims + Mains (36 GS + 3 CSAT Booklets) ₹15000/-

Offer

- *Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine with every module*
- *Free Test Series worth ₹ 6,000 for UPSC CSE Prelims 2019 with Prelims+Mains module*
- *Flat 50% discount on Test Series worth ₹ 6,000 for UPSC CSE Prelims 2019 with Prelims/Mains modules*

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

मेन्स सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन तथा निबंध

2013–18 तक के आई.ए.एस.
(मुख्य परीक्षा) के प्रश्नों का खण्डवार हल

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 011-47532596, 87501 87501

वेबसाइट
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
ई-मेल
booksteam@groupdrishti.com

तृतीय संस्करण- जनवरी 2019

मूल्य : ₹ 360

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

सिविल सेवा की तैयारी कर रहे प्रत्येक अभ्यर्थी का सपना होता है कि वह सिविल सेवक बने। इस सपने को साकार करने के लिये वह कड़ी मेहनत भी करता है। परंतु यह सपना सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि उसके साथ सटीक रणनीति अपनाने से ही साकार हो सकता है। ध्यातव्य है कि यू.पी.एस.सी. द्वारा सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों (वस्तुनिष्ठ, लिखित एवं मौखिक) में आयोजित की जाती है। निस्संदेह इसका प्रत्येक चरण अपने आप में महत्त्वपूर्ण होता है, परंतु इनमें लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) सबसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अच्छे प्रदर्शन के बिना आप अंतिम सूची में अपना स्थान नहीं बना सकते।

आपके इस सपने को साकार करने के लिये ही दृष्टि पब्लिकेशन्स ने वर्ष 2017 में 'आई.ए.एस. मेन्स सॉल्व्ड पेपर्स' पुस्तक प्रकाशित की थी। आपने इस पुस्तक को हाथों-हाथ लेकर हमारा उत्साह बढ़ाया। आपसे प्राप्त इन्हीं उत्साहजनक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें एक वर्ष के अंदर ही इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण निकालना पड़ा जिसमें वर्ष 2017 की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन एवं निबंध के प्रश्नपत्रों का हल भी शामिल किया गया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके तृतीय संस्करण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। इसमें वर्ष 2018 की मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों का हल भी सम्मिलित है।

यू.पी.एस.सी. द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के अध्ययन से पता चलता है कि हाल के वर्षों में अंतिम चयन सूची में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों की हिस्सेदारी निरंतर कम हुई है। इस संदर्भ में, यदि अभ्यर्थियों के परिणाम का विश्लेषण करें तो ज्ञात होता है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों में अच्छे अंक नहीं ला पाना ही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारक है और इसकी बुनियादी वजह है- प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर न दे पाना। इस समस्या का समाधान यही हो सकता है कि अभ्यर्थी के पास एक ऐसी मानक पुस्तक हो जो प्रश्नों की मांग के अनुरूप सामान्य अध्ययन के उत्तर प्रस्तुत करती हो ताकि अभ्यर्थी उन उत्तरों को पढ़कर अपनी लेखन शैली की कमियों को दूर कर सके।

गौरतलब है कि बाज़ार में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सॉल्व्ड पेपर्स की कमी नहीं है, परंतु उनके अध्ययन के उपरांत हमारी संपादकीय टीम ने पाया कि उनमें प्रश्नों के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया गया है। इसके अलावा, उनमें से कई पुस्तकों में अद्यतनता का अभाव एवं अशुद्धियों की भरमार भी है। ऐसी अधिकांश पुस्तकों में प्रश्नों में उल्लिखित महत्त्वपूर्ण शब्दों जैसे 'समीक्षा', 'आलोचनात्मक विवेचना', 'मूल्यांकन' और 'व्याख्या' को एक ही तराज़ू पर तौलते हुए सारे प्रश्नों के उत्तर एक जैसे तरीके से लिख दिये गए हैं। इस तरह के सॉल्व्ड पेपर्स अभ्यर्थियों की दुविधा का समाधान करने की बजाय उन्हें और उलझा देते हैं। इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए हमारी टीम ने यह पुस्तक तैयार करने की चुनौती स्वीकार की। हमने इसके लिये एक कोर टीम बनाई जिसमें मुख्य परीक्षा का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले 15 सदस्य शामिल थे। इसी अनुभवी टीम ने रात-दिन एक करके इस महत्कार्य को अंजाम तक पहुँचाया।

पुस्तक में हमने प्रश्नों की मांग के अनुरूप उत्तर प्रस्तुत किये हैं। भूगोल के उत्तरों में यथोचित स्थानों पर मानचित्रों एवं रेखाचित्रों का प्रयोग भी किया गया है। उत्तरों की गुणवत्ता व प्रामाणिकता बनाए रखने के लिये उत्तरों में विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों की रिपोर्ट्स एवं सुझाव यथोचित स्थानों पर दिये गए हैं।

गौरतलब है कि हमने उत्तर लेखन में यू.पी.एस.सी. द्वारा निर्धारित शब्द सीमा का कई स्थानों पर जान-बूझकर पालन नहीं किया है क्योंकि हम चाहते थे कि अभ्यर्थी उत्तर पढ़ते समय उस टॉपिक के विविध पहलुओं से परिचित हों ताकि वे मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार में सुलझी हुई राय प्रस्तुत कर सकें। अभ्यर्थी को यू.पी.एस.सी. के प्रश्नों का अनुवाद समझने में कोई परेशानी न हो, इसके लिये हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी प्रश्न दिये गए हैं। साथ ही, यू.पी.एस.सी. द्वारा पिछले वर्षों के दौरान अनुवाद में की गई भूलों को भी यथास्थान इंगित किया गया है ताकि अभ्यर्थी परीक्षा भवन में प्रश्नपत्र पढ़ने के दौरान सचेत रहें एवं उत्तर लिखते समय अंग्रेज़ी प्रश्न पर निगाह रखने की आदत विकसित कर लें।

इस पुस्तक में सामान्य अध्ययन के साथ-साथ निबंध के प्रश्नपत्रों का भी हल दिया गया है। वरिष्ठ एवं अनुभवी लेखकों द्वारा समग्रता से लिखे गए ये निबंध सहज प्रवाह एवं सटीक अभिव्यक्ति के उदाहरण हैं। इन निबंधों को पढ़कर अभ्यर्थियों में न केवल किसी टॉपिक के विश्लेषण की क्षमता विकसित होगी, बल्कि वे विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त करने की कला से भी अवगत होंगे।

सामान्य अध्ययन एवं निबंध के उत्तरों के साथ मुख्य परीक्षा की रणनीति के विविध आयामों, जैसे- मुख्य परीक्षा की तैयारी में किन स्रोतों का प्रयोग करें, उत्तर कैसे लिखें, परीक्षा में समय प्रबंधन कैसे करें इत्यादि पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्य परीक्षा की यह रणनीति जहाँ तैयारी प्रारंभ करने वाले अभ्यर्थियों को सही राह दिखाएगी, वहीं कई वर्षों से मुख्य परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की रणनीतिक खामियों की पहचान कर उन्हें दूर करने में भी मदद करेगी।

कुल मिलाकर, हमारी टीम को पूरा विश्वास है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पर आधारित यह पुस्तक आपके उत्तर लेखन के स्तर में न केवल गुणात्मक सुधार लाएगी, बल्कि आपकी सफलता में केंद्रीय भूमिका भी निभाएगी। आपसे निवेदन है कि पुस्तक पढ़कर हमें ज़रूर बताएँ कि हम अपने उद्देश्य में कितने सफल रहे? अगर आपको इस पुस्तक में कोई भी कमी दिखे या आप इसमें कोई सुधार चाहते हों तो कृपया **अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रमणिका

खंड-1

आई.ए.एस. मुख्य परीक्षा में सफलता हेतु सटीक रणनीति 1-18

खंड-2

2013-18 तक आई.ए.एस. (मुख्य परीक्षा) में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों का अंकवार वर्गीकरण एवं वर्षानुगत हल 19-328

सामान्य अध्ययन-1 25–101

- भारतीय विरासत एवं संस्कृति
- आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता से पूर्व)
- आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता से पश्चात्)
- विश्व इतिहास
- भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएँ
- भारत एवं विश्व का भूगोल

सामान्य अध्ययन-2 102–176

- भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली एवं सामाजिक न्याय
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सामान्य अध्ययन-3 177–261

- अर्थव्यवस्था
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
- पर्यावरण
- आपदा प्रबंधन
- सुरक्षा

सामान्य अध्ययन-4 262–328

- नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि
- केस स्टडीज़

खंड-3

2013–18 तक आई.ए.एस. (मुख्य परीक्षा) में पूछे गए निबंधों का वर्षानुगत हल 329-420

- वर्ष 2018
- वर्ष 2017
- वर्ष 2016
- वर्ष 2015
- वर्ष 2014
- वर्ष 2013

आई.ए.एस. (मुख्य परीक्षा) में सफलता हेतु सटीक रणनीति

प्रिय परीक्षार्थियो,

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत बारी आती है मुख्य परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा लाखों छात्रों में से कुछेक हज़ार गंभीर और योग्य उम्मीदवारों के चयन की एक पद्धति भर है। यानी प्रारंभिक परीक्षा आपके सिविल सेवा परीक्षार्थी होने पर मुहर लगाती है। आप सिविल सेवा परीक्षा हेतु उपयुक्त उम्मीदवार हैं, इसे सत्यापित करने का नाम ही प्रारंभिक परीक्षा है। किंतु वास्तविक परीक्षा तो मुख्य परीक्षा होती है। गौरतलब है कि जहाँ प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह वस्तुनिष्ठ (Objective) होती है, वहीं मुख्य परीक्षा व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) प्रकृति की होती है जिसमें अलग-अलग शब्द-सीमा वाले वर्णनात्मक (Descriptive) प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी मुख्य परीक्षा परिणामत: और गुणात्मक दृष्टि से प्रारंभिक परीक्षा से भिन्न होती है। अत: इसके लिये भिन्न और विशिष्ट रणनीति की भी दरकार होती है।

ध्यातव्य है कि 2013 से पहले प्रारंभिक परीक्षा सामान्यत: मई से जून माह में आयोजित की जाती थी, जबकि मुख्य परीक्षा अक्तूबर से नवंबर माह के बीच। ऐसे में परीक्षार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये 5 से 6 महीने का समय मिल जाता था लेकिन वर्ष 2013 के पश्चात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के मध्य समयान्तराल कम हो गया। वर्ष 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिये लगभग साढ़े तीन महीने का समय मिल रहा है। ऐसे में, इतने कम समय में मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये समय प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अत: स्वाभाविक है कि जब समय की कमी होती है तब रणनीति की महत्ता बढ़ जाती है। अत: शुरुआत से ही जो अभ्यर्थी उपलब्ध समय को ध्यान में रखकर मुख्य परीक्षा हेतु विशेष रणनीति अपनाकर अध्ययन करेंगे, उन्हें परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अभ्यर्थियों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा हेतु एक विस्तृत रणनीति प्रस्तुत की जा रही है।

मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक पड़ाव है क्योंकि कुल प्राप्तांक में लगभग 86% से ज़्यादा भारांक इसी का होता है। ध्यातव्य है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिये निर्धारित 2025 अंकों (1750 मुख्य परीक्षा + 275 साक्षात्कार) में मुख्य परीक्षा का अंश बहुत अधिक है। ऐसे में जो परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेगा, उसके लिये न केवल साक्षात्कार बल्कि अंतिम रूप से चयनित होने की राह बहुत आसान हो जाएगी। अत: मुख्य परीक्षा की सटीक तैयारी हेतु एक कारगर रणनीति बनानी होगी।

मुख्य परीक्षा की संरचना व प्रणाली

जिस तरह से 2011 में प्रारंभिक परीक्षा की संरचना में व्यापक बदलाव किये गए थे, वैसे ही 2013 में मुख्य परीक्षा की संरचना में भी रणनीतिक परिवर्तन किये गए। अब मुख्य परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है जिसमें 1000 अंक सामान्य अध्ययन के लिये (250-250 अंकों के 4 प्रश्नपत्र), 500 अंक वैकल्पिक विषय के लिये (250-250 अंकों के 2 प्रश्नपत्र) तथा 250 अंक निबंध के लिये निर्धारित हैं। 'क्वालिफाइंग' प्रकृति के दोनों प्रश्नपत्र अभी भी वैसे ही हैं, जैसे पहले थे। इनमें भारतीय भाषा में न्यूनतम अर्हता अंक 25% (75 अंक) तथा अंग्रेज़ी में भी न्यूनतम अर्हता 25% (75 अंक) निर्धारित किये गए हैं। तालिका-1 में मुख्य परीक्षा की वर्तमान प्रणाली दी गई है।

1750 अंकों की मुख्य परीक्षा में यदि साक्षात्कार के 275 अंकों को भी शामिल कर लिया जाए तो सिविल सेवा परीक्षा का कुल भारांक 2025 होता है।

तालिका-1: मुख्य परीक्षा के विभिन्न प्रश्नपत्र तथा उनके भारांक

प्रश्नपत्र संख्या	विषय-वस्तु	अंक
प्रश्नपत्र-1	निबंध	250
प्रश्नपत्र-2	सामान्य अध्ययन-1 (भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज)	250
प्रश्नपत्र-3	सामान्य अध्ययन-2 (शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध)	250
प्रश्नपत्र-4	सामान्य अध्ययन-3 (प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन)	250
प्रश्नपत्र-5	सामान्य अध्ययन-4 (नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, और अभिरुचि)	250
प्रश्नपत्र-6	वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र-1	250
प्रश्नपत्र-7	वैकल्पिक विषय प्रश्नपत्र-2	250
क्वालिफाइंग-1	अंग्रेज़ी भाषा	300
क्वालिफाइंग-2	हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भाषा	300
कुल अंक		**1750**

(दोनों क्वालिफाइंग प्रश्नपत्रों के अंक योग्यता निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं।)

वर्ष 2013 से 2018 तक सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्रों का खण्डवार एवं अंकवार वर्गीकरण

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र–1

भारत एवं विश्व का इतिहास	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013
भारतीय विरासत एवं संस्कृति	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	4 (40 अंक)	3 (20 अंक)
आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता से पूर्व)	1 (10 अंक)	5 (65 अंक)	3 (37.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (30 अंक)	4 (40 अंक)
आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता से पश्चात्)	1 (15 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	4 (40 अंक)
विश्व इतिहास	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (30 अंक)	4 (40 अंक)
अंक	75 अंक	85 अंक	87.5 अंक	87.5 अंक	100 अंक	140 अंक
भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएँ	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013**
भारतीय समाज की विशेषताएँ	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)	–
महिलाओं से संबंधित मुद्दे	1 (15 अंक)	–	–	1 (12.5 अंक)	3 (30 अंक)	1 (10 अंक)
गरीबी एवं विकासात्मक विषय	2 (25 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	–
शहरीकरण	–	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	–	1 (10 अंक)
जनसंख्या	–	–	–	2 (25 अंक)	–	–
भारतीय समाज पर भूमण्डलीकरण का प्रभाव	1 (15 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	–	–	1 (10 अंक)
संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता	2 (25 अंक)	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)
सामाजिक सशक्तिकरण	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	–
अंक	90 अंक	65 अंक	75 अंक	100 अंक	50 अंक	40 अंक
भारत एवं विश्व का भूगोल	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013**
भौतिक भूगोल	2 (25 अंक)	3 (40 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	2 (20 अंक)	5 (30 अंक)
प्राकृतिक संसाधनों का वितरण	2 (25 अंक)	1 (10 अंक)	5 (62.5 अंक)	3 (37.5 अंक)	2 (20 अंक)	2 (20 अंक)
भारत एवं विश्व में उद्योगों को स्थापित करने वाले कारक	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	–	–	3 (30 अंक)	2 (10 अंक)
महत्त्वपूर्ण भू-भौतिक घटनाएँ (भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि)	–	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	2 (20 अंक)	2 (10 अंक)
भौगोलिक विशेषताएँ और उनके स्थान	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)	–	–	1 (10 अंक)	–
अंक	85 अंक	100 अंक	87.5 अंक	62.5 अंक	100 अंक	70 अंक
कुल अंक	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र–2

भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013
भारतीय संविधान (विशेषताएँ प्रावधान) भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना	1 (15 अंक)	2 (30 अंक)	3 (37.5 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (20 अंक)
संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं स्थानीय शासन	2 (30 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
विधायिका एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
कार्यपालिका	1 (10 अंक)	–	–	–	2 (25 अंक)	–
न्यायपालिका	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–
विभिन्न घटकों के मध्य शक्ति का पृथक्करण	–	–	–	1 (12.5 अंक)	–	1 (10 अंक)
संवैधानिक पद तथा संवैधानिक विधिक, विनियामक एवं अर्ध–न्यायिक निकाय	4 (45 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (30 अंक)
लोकतंत्र में सिविल सेवा	–	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	–
अंक	125 अंक	115 अंक	112.5 अंक	100 अंक	100 अंक	80 अंक
शासन प्रणाली एवं सामाजिक न्याय	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013**
विकास के लिये सरकारी नीतियाँ एवं क्रियान्वयन से संबंधित विषय	1 (10 अंक)	3 (40 अंक)	–	–	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)
गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह एवं विभिन्न समूहों की विकास प्रक्रिया में भूमिका	–	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (20 अंक)
अतिसंवेदनशील वर्गों के लिये चलाई गई कल्याणकारी योजनाएँ	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
मानव संसाधन से संबंधित विषय	2 (25 अंक)	–	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (20 अंक)
गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	–	–
शासन प्रणाली से संबंधित विषय, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई–गवर्नेंस, सिटिज़न चार्टर	2 (25 अंक)	–	3 (37.5 अंक)	2 (25 अंक)	–	3 (30 अंक)
अंक	75 अंक	85 अंक	87.5 अंक	100 अंक	87.5 अंक	90 अंक
अंतर्राष्ट्रीय संबंध	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014**	**प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013**
भारत एवं इसके पड़ोसी देश	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)	–	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	6 (60 अंक)
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह, विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव, प्रवासी भारतीय	1 (15 अंक)	2 (30 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (37.5 अंक)	1 (10 अंक)
अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	62.5 अंक	80 अंक
कुल अंक		250	250	250	250	250

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

अर्थव्यवस्था	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013
भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन, विकास, रोज़गार से संबंधित मुद्दे	2 (30 अंक)	2 (20 अंक)	–	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–
समावेशी विकास	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
बजट	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	–	3 (30 अंक)
मुख्य फसलें, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, सिंचाई, ई-प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित विषय एवं बाधाएँ	3 (40 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	–
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, जन वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा	1 (10 अंक)	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	2 (20 अंक)
खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, पशुपालन	–	1 (10 अंक)	–	2 (25 अंक)	–	1 (10 अंक)
भारत में भूमि सुधार	–	–	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति	–	1 (15 अंक)	1 (12.5 अंक)	–	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
बुनियादी ढाँचा	1 (15 अंक)	–	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
निवेश मॉडल	–	1 (10 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (20 अंक)
अंक	115 अंक	125 अंक	137.5 अंक	125 अंक	112.5 अंक	120 अंक
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, अनुप्रयोग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स इत्यादि, बौद्धिक संपदा से संबंधित विषय	1 (15 अंक)	1 (10 अंक)	–	3 (37.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	6 (45 अंक)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास	1 (10 अंक)	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	–
अंक	25 अंक	35 अंक	25 अंक	50 अंक	37.5 अंक	45 अंक
पर्यावरण	4 (45 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	3 (25 अंक)
आपदा प्रबंधन	1 (15 अंक)	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (12.5 अंक)	1 (10 अंक)
सुरक्षा	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013
विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध	1 (10 अंक)	–	–	1 (12.5 अंक)	–	1 (10 अंक)
आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, साइबर सुरक्षा, धनशोधन	1 (15 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	2 (25 अंक)	1 (12.5 अंक)	3 (30 अंक)
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद	2 (25 अंक)	2 (25 अंक)	3 (37.5 अंक)	–	4 (50 अंक)	1 (10 अंक)
सुरक्षा बल और संस्थान तथा उनके अधिदेश	–	–	–	1 (12.5 अंक)	–	–
अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	50 अंक	62.5 अंक	50 अंक
कुल अंक	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2018	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2017	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2016	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2015	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2014	प्रश्नों की संख्या/ अंक 2013
नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध: मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार, निर्धारक, परिणाम, आयाम, सार्वजनिक एवं निजी संबंध में नीतिशास्त्र, मूल्य विकसित करने में परिवार समाज व शिक्षण संस्थाएँ	1 (10 अंक)	3 (30 अंक)	3 (40 अंक)	4 (55 अंक)	4 (40 अंक)	2 (20 अंक)
अभिवृत्ति: सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार आचरण में इसका प्रभाव, नैतिक राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव एवं धारण	–	1 (10 अंक)	2 (20 अंक)	–	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)
भावात्मक समझ: अवधारणा तथा प्रशासन में उपयोग	–	1 (10 अंक)	1 (10 अंक)	–	1 (10 अंक)	3 (30 अंक)
भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक	3 (30 अंक)	2 (20 अंक)	4 (40 अंक)	2 (20 अंक)	1 (10 अंक)	3 (30 अंक)
सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य: सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, सेवा के प्रति समर्पण, कमज़ोर वर्ग के प्रति सहानुभूति	1 (10 अंक)	3 (40 अंक)	2 (30 अंक)	5 (60 अंक)	4 (50 अंक)	3 (50 अंक)
लोक प्रशासन में लोक/सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, सरकारी एवं निजी संस्थान में नैतिक चिंता एवं दुविधा, उत्तरदायित्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं निधि व्यवस्था के नैतिक मुद्दे	8 (110 अंक)	5 (70 अंक)	3 (65 अंक)	4 (70 अंक)	5 (90 अंक)	4 (70 अंक)
शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, पारदर्शिता, कार्यसंस्कृति सेवा की गुणवत्ता, लोकनिधि, भ्रष्टाचार	6 (90 अंक)	4 (70 अंक)	3 (45 अंक)	3 (45 अंक)	2 (30 अंक)	2 (40 अंक)
कुल अंक	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

सामान्य अध्ययन-1

भारतीय विरासत एवं संस्कृति

2018

प्रश्नः भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Safeguarding the Indian art heritage is the need of the moment. Discuss.

उत्तरः भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है जिसकी मूर्त तथा अमूर्त विरासत के माध्यम से यहाँ की प्राचीन परंपरा, इतिहास, कला तथा संस्कृति के दर्शन होते हैं। ये प्राचीन विरासत बहुमुखी भारतीय संस्कृति के साथ-साथ यहाँ के समृद्ध अतीत की झलक भी प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान औद्योगीकीरण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण प्राचीन विरासत पर विद्यमान संकटपूर्ण स्थिति का ही परिणाम है कि राष्ट्र के स्तर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी (यूनेस्को के द्वारा) इन प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। भारत के इन प्राचीन धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को देखा जा सकता है:

- प्राचीन कला व संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्मारकों से राष्ट्र का गौरव जुड़ा होता है। अतः गर्व की अनुभूति सदैव प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने के लिये प्रेरित करती है।
- प्राचीन कलाओं तथा हस्तकलाओं को संरक्षित किये जाने पर ही ये भविष्य की पीढ़ियों को स्थानांतरित किये जा सकेंगे। यही कारण है कि यूनेस्को ने भारत के अमूर्त धरोहरों को विश्व विरासत सूची में (पंजाब के पारंपरिक पीतल के बर्तन बनाने की कला, छऊ नृत्य, वैदिक मंत्रों की परंपरा आदि को) सम्मिलित करके संरक्षण का प्रयास किया है।
- प्राचीन कलाओं, जैसे- चित्रकारी, कशीदाकारी, नृत्य, संगीत आदि को संरक्षण के माध्यम से देश की विभिन्न जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के आय अर्जन के अवसरों को सुनिश्चितता भी प्रदान किया जा सकता है।
- प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के माध्यम से पर्यटन उद्योग को भी गति प्रदान की जा सकती है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने से एक तरफ विदेशी पर्यटक जहाँ देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करते है वहीं दूसरी तरफ देशी पर्यटकों के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को बल प्रदान किया जा सकता है।
- अनियोजित तथा अंधाधुंध विकास की चाह ने प्राचीन स्मारकों को क्षति पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाई है। ताजमहल को आगरा के औद्योगिक प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाना आज के समय की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत की प्राचीन कला व विरासत को संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 तथा 51क(च) को देखा जा सकता है जो भारत की सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के संरक्षण तथा परिरक्षण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पुरातात्त्विक स्थलों के विकास, संचालन तथा रखरखाव को निजी क्षेत्र के माध्यम से किये जाने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग योजना तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अमूर्त विरासत के संरक्षण हेतु 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा' योजना को लागू किया जा रहा है।

प्रश्नः भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्त्व का आकलन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Assess the importance of the accounts of the Chinese and Arab travelers in the reconstruction of the history of India.

उत्तरः भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत महत्त्वपूर्ण हैं। इन विदेशी यात्रियों में चीनी और अरबी लेखकों के वृत्तांत काफी महत्त्व रखते हैं। इनके विवरणों से भारत के तात्कालिक इतिहास पर चतुर्दिक प्रकाश पड़ता है। यही कारण है कि इनके वृत्तांतों का उपयोग करने पर अतीत को नए दृष्टिकोण से देखना संभव हुआ।

चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के चलते भारत एवं चीन के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गया था। इस तरह धार्मिक संबंध स्थापित होने के कारण अनेक चीनी यात्री बौद्ध धर्म, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करने के लिये तथा प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ भारत आए। इनमें फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। चीनी लेखकों में ऐतिहासिक जानकारी के दृष्टिकोण से फाहियान का नाम महत्त्वपूर्ण है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। यद्यपि अपने यात्रा वृत्तांत में उसने बौद्ध धर्म से संबंधित बातों पर अधिक प्रकाश डाला है तथापि प्रसंगवश सामाजिक तथा अन्य बातों, जैसे- मध्य प्रदेश के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख किया है। इसके ग्रंथ से हमें गुप्तकालीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह ह्वेनसांग, हर्षवर्धन कालीन भारत

आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता के पूर्व)

2018

प्रश्नः वर्तमान समय में महात्मा गाँधी के विचारों के महत्त्व पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Throw light on the significance of the thoughts of Mahatma Gandhi in the present times.

उत्तरः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। वस्तुतः गांधीजी की विचारधारा का सैद्धांतिक आधार सत्य और अहिंसा था। वर्तमान संदर्भ में उनके के विचारों का व्यापक महत्त्व देखा जा सकता है।

गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और अद्वैत की मूल भावना को साकार करने के लिये सर्वोदय संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किया। सर्वोदय का आशय सभी का, सभी प्रकार से उत्थान या कल्याण से है अर्थात् यहाँ जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिंग, संपत्ति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाता है। सर्वोदय के विभिन्न आयामों को अधोलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

- **आर्थिक पक्षः** गांधीजी सभी व्यक्तियों के श्रम करने पर बल देते हैं ताकि उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। फिर वे सभी के श्रम की कीमत एवं महत्ता को समान रूप से स्वीकार करते हैं। वे आर्थिक न्याय हेतु ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसके अनुरूप धनी व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति का उपयोग करना चाहिये जितनी उसको आवश्यकता है। शेष संपत्ति का उपयोग उसे समाजहित में करना चाहिये। फिर वे भारतीय संदर्भ में लघु एवं कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं।
- **सामाजिक विचारः** गांधीजी ने आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया जिसमें अप्राकृतिक, ऊँच-नीच का भाव, अस्पृश्यता, छुआछूत, स्त्री-पुरुष भेद न हो। यद्यपि वे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तथापि उसे केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन एवं आजीविका प्राप्ति से संबंधित करते है। गांधीजी सभी क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी पर बल देते हैं।
- **राजनीतिक पक्षः** गांधीजी, थोरो के इस विचार से सहमत हैं कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। गांधीजी सत्ता का विकेंद्रीकरण, राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र का समर्थन करते हैं जबकि राज्य की प्रमुखता का खंडन करते हैं।
- **धार्मिक पक्षः** गांधीजी धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता एवं धर्मांधता के विरोधी हैं। उनका धर्म से आशय सभी धर्मों में अंतर्निहित, मूल शाश्वत तत्त्व से है जो समस्त मानवों के कल्याण का हेतु है। वे सर्वधर्म समभाव की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

गांधीजी साधन एवं साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं। उनके आनुसार साधन एवं साध्य में अवियोज्य संबंध है। इसी तरह व अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से किसी का अमंगल न होने देना ही अहिंसा है। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन रक्तपूर्ण क्रांति से नहीं बल्कि अहिंसात्मक पद्धति से संभव है।

वर्तमान में मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक एवं जातीय संघर्ष, अस्पृश्यता, SC/ST से संबंधित समस्याएँ, बेरोज़गारी आदि के निराकरण में गांधीजी के विचारों का व्यापक महत्त्व देखा जा सकता है।

2017

प्रश्नः सुस्पष्ट कीजिये कि मध्य अठारहवीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। (150 शब्द, 10 अंक)

Clarify how mid-eighteenth century India was beset with the spectre in the a fragmented polity.

उत्तरः मध्यकाल में मुगलों द्वारा लगभग समूचे देश को एक सूत्र में बांध दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारतीय साम्राज्य अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ तक स्थिर बना रहा, किंतु औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेज़ी से बिखरने लगा और अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक आते-आते देश क्षेत्रीय राज्यों में बँट गया।

बंगाल में मुर्शिद कुली खाँ और उसके उत्तराधिकारियों, हैदराबाद में चिन किलिच खाँ तथा अवध में सआदत खाँ के नेतृत्व में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुई। ये क्षेत्रीय राज्य मुगल केंद्रीय सत्ता की क्षीण होती शक्ति के परिणामस्वरूप उभरकर आए। यही नहीं, अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भी कर्नाटक और मैसूर जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। कर्नाटक धीरे-धीरे मुगल सूबेदारों के कब्ज़े से निकल गया था और 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य पर अधिकार कर लिया। इन क्षेत्रीय शक्तियों के उभरने में अंग्रेज़ों तथा अन्य यूरोपीय शक्तियों के आपसी संघर्षों की भी भूमिका रही। अठारहवीं शताब्दी में ही पंजाब में सिख, राजस्थान में राजपूत तथा महाराष्ट्र व मध्य भारत में मराठे भी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में मज़बूत हो रहे थे। अठारहवीं सदी के अंतिम दौर में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की।

इस प्रकार अठारहवीं सदी में भारत की राजनीतिक एकता विखंडित हो गई और यही राजनीतिक अस्थिरता अंततः भारत में अंग्रेज़ी विजय का कारण साबित हुई।

आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता के पश्चात्)

2018

प्रश्नः चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण, भारत की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद है या नहीं है। (250 शब्द, 15 अंक)

Discuss whether formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India.

उत्तरः भारत में स्वतंत्रता पश्चात् ही नए राज्यों की मांग शुरू हो गई थी, हालाँकि उस समय नए राज्यों की मांग का कारण 'भाषायी आधार' था। वर्तमान में भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- गोरखालैंड, बुंदेलखंड इत्यादि नए राज्य के निर्माण की मांग कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों का मत है कि नए राज्यों के गठन से बेहतर शासन-प्रशासन के अलावा राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। जबकि आलोचकों का मत है कि नए राज्यों के गठन से देश के संसाधनों का अपव्यय होगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिये प्रतिकूल होगा।

वस्तुतः नए राज्यों का गठन भारत की अर्थव्यवस्था के लिये निम्नलिखित रूप से लाभप्रद है-

- नए राज्यों के गठन से राज्यों का आकार छोटा होगा, जिससे शासन एवं प्रशासन का सुगम संचालन के साथ ही दक्षता में वृद्धि होगी; जो अंततः राज्य के विकास के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में लाभप्रद होगा।
- बड़ा राज्य होने की स्थिति में कई बार कोई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक संपन्न होने के बावजूद शासन की गलत नीतियों के कारण आर्थिक-सामाजिक विकास में पिछड़ा रह जाता है। नए राज्यों के गठन से यह समस्या बेहतर शासन पहुँच से दूर होगी तथा राज्य के सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास होगा।
- नए राज्य के गठन के कारण उस राज्य में नृजातीय संघर्ष एवं क्षेत्रवाद जैसी राष्ट्र विरोधी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा, फलतः नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होगा। राष्ट्रवाद के संचार के कारण नागरिक देश की आर्थिक गतिविधियों में समुचित भागीदारी करके भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को तीव्र कर सकते हैं।
- नए राज्यों के गठन से शासन की योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाकर राज्य में विद्यमान विषमता को कम किया जा सकता है। राज्य में मौजूद विषमता अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी हिंसक गतिविधियों में सहयोगी होती है, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। नए राज्यों के गठन से बेहतर आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उपर्युक्त गतिविधियों को समाप्त या कम करके निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद होगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों की संवृद्धि हमें इस दिशा की ओर प्रोत्साहित करती है।

किंतु, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि नए राज्यों का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निरपेक्ष रूप से लाभप्रद हो, यह ज़रूरी नहीं है; जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं-

- नए राज्यों के गठन से अलग-अलग प्रशासनिक भवन और कार्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे देश को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।
- राज्यों के गठन के समय संसाधनों के बँटवारे के क्रम में एक राज्य को संसाधन कम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे वह राज्य पिछड़ा ही रह जाएगा।
- नए राज्यों के गठन के पश्चात् मूल राज्य से विभिन्न संसाधनों जैसे– नदी, ज़मीन इत्यादि पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं जिनसे विभिन्न 'अधिकरणों' का निर्माण एवं विवाद समाधान तंत्र बनाने होते हैं, जिससे अत्यधिक व्यय बढ़ता है।
- नए राज्यों के गठन से नागरिकों के मध्य कटुता, द्वेष एवं हिंसा की भावना बढ़ती है और संसाधनों एवं सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति के प्रतिकूल है।
- नए राज्यों का गठन यदि विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिये किया जा रहा है, तो यह उचित है किंतु अगर राजनीतिक लाभ एवं वोटबैंक के लिये किया जा रहा है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्षतः नए राज्यों के गठन से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव परिलक्षित होते हैं। अतः नए राज्यों के गठन को लेकर विशेष सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिये। वस्तुतः राज्यों के गठन से ही उस क्षेत्र का विकास संभव नहीं है, बल्कि शासन का सुचारु संचालन एवं नीतियों के समुचित क्रियान्वयन से राज्यों का समुचित विकास किया जा सकता है और अंततः देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

2016

प्रश्नः क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मज़बूती प्रदान की है? (200 शब्द, 12½ अंक)

Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?

उत्तरः स्वतंत्रता के पश्चात् ही भारत के सामने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सवाल आ खड़ा हुआ। यह राष्ट्र की एकता और समेकन का महत्त्वपूर्ण पहलू था।

विश्व इतिहास

2017

प्रश्न: मलय प्रायद्वीप में उपनिवेश उन्मूलन के प्रक्रम में सन्निहित क्या-क्या समस्याएँ थीं? (150 शब्द, 10 अंक)

What problems were germane to the decolonization process in the Malay Peninsula?

उत्तर: द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवाद का तेज़ी से अंत हुआ। 1975 तक आते-आते अधिकांश देशों में राष्ट्रीय सरकारों को सत्ता सौंप दी गई और उपनिवेशों से नए राष्ट्रों का जन्म हुआ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मलय प्रायद्वीप में शामिल बर्मा, थाइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों के अधिकांश क्षेत्रों पर जापान ने अधिकार स्थापित कर लिया था। 1945 में इस क्षेत्र को जापान से मुक्त कराने के बाद ब्रिटिश सरकार इसे स्वतंत्रता प्रदान करने के मार्ग पर आगे बढ़ी जहाँ उसे निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा-

- इस क्षेत्र में मलाया तथा चीनी मूल के लोगों के मध्य प्रतिद्वंद्विता की समस्या मौजूद थी।
- यहाँ भारतीय तथा यूरोपीय मूल की जनसंख्या काफी अधिक थी।
- यहाँ नौ रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक एक सुल्तान द्वारा शासित थी।
- प्रत्येक रियासत में उसके स्थानीय मामलों का प्रशासन करने के लिये एक स्वतंत्र विधानमंडल की स्थापना की गई तथा सर्वोच्च नियंत्रण के लिये एक केन्द्रीय सरकार बनाई गई, लेकिन सिंगापुर को अभी भी एक उपनिवेश का ही दर्जा दिया गया।
- साम्यवादी विद्रोहियों द्वारा हिंसा फैलाने के कारण ब्रिटिश सरकार को 1960 तक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। अंततः तुकू अबुल रहमान ने गैर-साम्यवादियों तथा बहुसंख्यक मलय तथा भारतीय मूल के लोगों का समर्थन हासिल कर लिया, इसी क्रम में 1957 में ब्रिटेन ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। 1963 में मलेशियाई संघ की स्थापना की गई; आरम्भ में सिंगापुर इस संघ में शामिल हुआ बाद में इससे अलग हो गया। शेष समस्त मलेशियाई संघ आज तक अक्षुण्ण बना हुआ है।

2016

प्रश्न: पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश-विरोधी संघर्ष को पाश्चात्य-शिक्षित अफ्रीकियों के नवसंभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। परीक्षण कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

The anti-colonial struggles in West Africa were led by the new elite of Western-educated Africans. Examine.

उत्तर: 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में लगभग पूरा पश्चिमी अफ्रीका (नाइजीरिया, सेनेगल, गिनी, घाना आदि); यूरोपीय शक्तियाँ- फ्राँस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल आदि के बीच बँट चुका था। इन शक्तियों द्वारा अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में औपनिवेशिक तंत्र की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता का निर्मम शोषण आरंभ हुआ।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, एशिया तथा अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों की भाँति पश्चिमी अफ्रीका में भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वैश्विक परिस्थितियों के फलस्वरूप यह भावना और भी अधिक प्रबल हुई। राष्ट्रवाद की भावना के विकास तथा औपनिवेशिक शोषण व उत्पीड़न के ख़िलाफ बढ़ते हुए विरोध ने पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। इन संघर्षों को पाश्चात्य शिक्षित अफ्रीकियों के नवसंभ्रांत वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया।

इन नवसंभ्रांत वर्ग के नवयुवकों ने पाश्चात्य देशों में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप वे नवीन विचारों, दर्शन,और राजनीतिक संस्थाओं से परिचित हुए। इसी क्रम में वे लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता जैसे पाश्चात्य प्रगतिशील विचारों के संपर्क में भी आए। वे विशेषकर 'आत्मनिर्णय के सिद्धांत' जैसे विचारों से परिचित थे। इन सबके फलस्वरूप उनमें उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का विकास हुआ, जिसने उन्हें पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने के लिये प्रेरित किया।

ऐसे ही एक पाश्चात्य शिक्षित नवयुवक क्वामे न्क्रुमा (Kwame Nkrumah) थे, जिन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने घाना (तब गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था) में संवैधानिक तरीकों से चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी पार्टी कन्वेशन पीपुल्स पार्टी तथा कुछ ट्रेड यूनियनों की सहायता से औपनिवेशिक सरकार पर दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप संवैधानिक सुधारों की घोषणा हुई और चुनाव में उनकी पार्टी ने भारी जीत दर्ज़ की, जो औपनिवेशिक सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम थी। इसके कारण 1957 में घाना पश्चिमी अफ्रीका में स्वतंत्रता पाने वाला प्रथम देश बना।

दूसरी तरफ पश्चिमी अफ्रीका के कुछ अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये गैर-संवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग किया गया। पुर्तगाल में शिक्षित युवक अमिल्कर कबराल (Amilcar Cabral) ने गिनी-बिसाऊ में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। यद्यपि अमिल्कर कबराल पुर्तगाली सेना द्वारा पकड़ा और मार डाला गया, तथापि उसने बाद के संघर्षों को प्रेरणा दी और अंततः गिनी-बिसाऊ स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार न्नाम्दी अजिकिवे (Nnamdi Azikiwe), जिन्होंने अमेरिका से शिक्षा प्राप्त की थी, ने नाइजीरिया में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों से 1960 में नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ।

पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त एक अन्य युवक तोवालोऊ होउएनोऊ ने (Tovalou Houenou) फ्राँस में कानून की उपाधि व चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में नस्लभेद का विरोध किया तथा नीग्रो आंदोलन की नींव डाली। उनके लेखन ने पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को प्रेरणा प्रदान की।

भारतीय समाज एवं सामाजिक समस्याएँ

2018

प्रश्न: "जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।" टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.

उत्तर: भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सदियों से विद्यमान रही है। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विशेषाधिकार प्रदान करती है। डॉ. अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले तथा पेरियार जैसे सामाजिक चिंतक जाति व्यवस्था के विनाश के पक्षधर रहे हैं, किंतु यह जाति व्यवस्था 'नई सदी में नई विशेषताओं' के साथ उदित हो रही है।

जाति व्यवस्था की नई-नई पहचानों और इसके सहचारी रूपों पर यदि विचार करें तो यह वर्तमान में निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है-

- भारतीय लोकतंत्र में जातिगत राजनीति के उभार ने जातीय पहचान व जातीय संगठनों को महत्त्वपूर्ण बना दिया है। जिससे जाति व्यवस्था को नवीन शक्ति मिली है।
- अपमानजनक जातिगत अभ्यासों, जैसे- मंदिर प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाना आदि ने भी जाति व्यवस्था में निम्न कही जाने वाली जातियों को संगठित होने के लिये उत्प्रेरित किया है। यह भी जाति व्यवस्था द्वारा अर्जित एक नई पहचान है।
- जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था ने भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय पहचान को उपयोगी बना दिया है।

इस प्रकार जातिगत आंदोलनों के अंतर्गत तथा जातियों की शक्ति-संपन्नीकरण की प्रकिया में जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों एवं सहचारी रूपों को धारण कर रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता।

किंतु बेहतर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवसरों की उपस्थिति जाति व्यवस्था के बंधनों को कमज़ोर कर सकती है। इन अवसरों की बेहतर उपस्थिति जाति आधारित आरक्षण की बढ़ती मांग तथा जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकती है। इस क्रम में भारतीय समाज में जाति आधारित अभिवृत्ति में भी रचनात्मक परिवर्तन करने के लिये सामाजिक आंदोलनों की ज़रूरत है।

ध्यातव्य है कि ऐसे अवसरों के सृजन हेतु भारतीय लोकतंत्र, समाज एवं संविधान सदैव से प्रयासरत भी रहा है। कौशल विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन, समाज सुधार आंदोलन, कृषि विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं का विकास ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है।

अतः भारत में नई-नई पहचानों एवं सहचारी रूपों के साथ जाति व्यवस्था का उदित होना सत्य है किंतु समावेशी विकास की प्रक्रिया, जाति के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति में लोकतांत्रिक परिवर्तन एवं अंतर्जातीय विवाह जैसे प्रयासों की सहज स्वीकार्यता से बंद जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया जा सकता है।

प्रश्न: 'भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद, निर्धनता अभी भी विद्यमान है।' कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

'Despite implementation of various programmes for eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing.' Explain by giving reasons.

उत्तर: निर्धनता वह स्थिति है जब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति के कारण समाज में एक वर्ग भूख, कुपोषण, अस्वस्थता, अपर्याप्त आवास, असुरक्षित पर्यावरण तथा सामाजिक भेदभाव जैसी अमानवीय परिस्थितियों से घिरा होता है। इन्हीं नकारात्मक वातावरण से समाज के निर्धन तबके को बाहर निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा आज़ादी के बाद से ही अनेक निर्धनता कार्यक्रम चलाए गए जो आज भी निर्धनता उन्मूलन हेतु क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

गरीबी निवारण हेतु किये गए सरकारी प्रयासों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, मनरेगा, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ध्यातव्य है कि आज़ादी के बाद से ही गरीबी निवारण हेतु किये गए प्रयासों के बावजूद तेंदुलकर समिति द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 तक देश में 21.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी। निर्धनता के वर्तमान में भी बने रहने के कारणों के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को समझा जा सकता है:-

- भारत में निर्धनता के विद्यमान होने का मुख्य कारण निर्धनता दुष्चक्र की उपस्थिति है। गरीबी की विद्यमानता ने शिक्षा की कमी तथा स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को समाज में बनाए रखा जिससे एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण पर गरीब परिवारों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो दूसरी तरफ कौशलयुक्त रोज़गार के प्रति अयोग्यता ने गरीब व्यक्ति की अगली पीढ़ी को गरीब बनाए रखने में अपनी नकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया।
- सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यमान त्रुटियों (लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, कालाबाज़ारी) ने भी योजनाओं के लाभ को वांछित व्यक्तियों तक पहुँचाने में बाधाएँ उत्पन्न की हैं। वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इन त्रुटियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत एवं विश्व का भूगोल

2018

प्रश्नः भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई. आर. एन. एस. एस.) की आवश्यकता क्यों है? यह नौपरिवहन में किस प्रकार सहायक है? (150 शब्द, 10 अंक)

Why is Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) needed? How does it help in navigation?

उत्तरः भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन. एस.एस.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। यह अपनी परिधि में 1500 किमी. के क्षेत्र को कवर करती है। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका नाम देश के मछुवारों को समर्पित करते हुए नाविक (NAVIC-Navigation with Indian Constellation) रखा है।

भारत दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं अग्रणी देश है। हिंद महासागर में इसकी सामरिक एवं वाणिज्यिक स्थिति को देखते हुए इसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाए रखने के लिये अपनी खुद की प्रभावी उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली की आवश्यकता थी चूँकि अभी भारत अमेरिकी 'जीपीएस' का इस्तेमाल कर रहा है जो पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण में रहता है और युद्ध के समय भारत इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने स्वदेशी उपग्रह नौवहन प्रणाली का विकास किया और ऐसी तकनीक रखने वाला विश्व का तीसरा देश बना।

आई.आर.एन.एस.एस. अर्थात् 'नाविक' एक स्वतंत्र क्षेत्रीय मार्गनिर्देशन तंत्र है जिसमें 7 उपग्रह शामिल हैं। इसे न केवल भारतीय प्रयोक्ताओं बल्कि अपनी सीमा के बाहर 1500 किमी. के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में सटीक स्थिति संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिये डिज़ाइन किया गया है। नाविक मुख्य रूप से दो प्रकार की सेवाएँ मुहैया कराएगा– प्रथम, मानक अवस्थिति सेवा (एस.पी.एस.) जो जन सामान्य के लिये नौवहन व अवस्थिति की निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराएगी। द्वितीय, प्रतिबंधित सेवा (आर.एस.) जो केवल सेना व गुप्तचर एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाई जाएगी। नाविक द्वारा स्थलीय, हवाई तथा महासागरीय दिशानिर्देशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। सड़क और रेल यातायात, सड़कों पर ट्रैफिक जाम, ट्रेनों की रियल टाइम ट्रैकिंग, कार्गो शिपिंग आदि क्षेत्रों में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रश्नः भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है? (150 शब्द, 10 अंक)

Why is India taking keen interest in resources of Arctic Region?

उत्तरः आर्कटिक प्रदेश विश्व के सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में से एक है। यहाँ विश्व के 10-20% पेट्रोलियम एवं 30% प्राकृतिक गैस मौजूद हैं। साथ ही, खनिज संसाधन जैसे कि कॉपर, निकेल, कोयला, सोना, यूरेनियम एवं टंगस्टन के निक्षेप मौजूद हैं। ऐसे में, यह क्षेत्र विश्व के देशों के समक्ष आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिनमें भारत भी प्रमुख है।

भारत विश्व का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ऐसे में बढ़ती हुई जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा की आपूर्ति हेतु भारत इस क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों में रुचि ले रहा है। यहाँ भारत के वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, व्यावसायिक तथा सामरिक हित भी निहित हैं।

यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में से है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का इस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र की जलवायु का संबंध भारतीय मानसून से भी है जिस कारण भारत इस क्षेत्र में रुचि ले रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मानसून है जिसमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर सकती है। साथ ही, इस क्षेत्र में मौजूद राष्ट्र भारत के लिये विशिष्ट सामरिक एवं व्यापारिक महत्त्व रखते हैं, ऐसे में यहाँ रुचि का होना स्वाभाविक है।

यद्यपि इस दिशा में हमारे प्रयास वर्ष 2007 से ही प्रारंभ हो गए थे जब यहाँ भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक दल भेजा था। तत्पश्चात् भारत ने नॉर्वे में वर्ष 2008 में अपना पहला अनुसंधान केंद्र 'हिमाद्री' स्थापित किया और इसे आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष यहाँ वैज्ञानिक दल भेजे। साथ ही वर्ष 2008 में 'नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट' के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये। वर्ष 2012 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति (IASC) की परिषद के लिये चुना गया और 2013 में यह आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र बना।

आर्कटिक अनुसंधानों से एक बात सामने आई है कि इन शोधों से निकले परिणामों में संपूर्ण मानवता को लाभान्वित करने, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के मार्गदर्शन में और पृथ्वी की सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता समाहित है। अतः निश्चित रूप से आर्कटिक क्षेत्र में भारतीय रुचि समय संगत है जो कि भारत के दीर्घकालिक हित में है।

प्रश्नः 'मेंटल प्लूम' को परिभाषित कीजिये और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Define mantle plume and explain its role in plate tectonics.

उत्तरः 'मेंटल प्लूम' ज्वालामुखी क्रिया में लावा में मिली हुई चट्टानों के पिघले (Molted) हुए टुकड़े हैं जो मेंटल से उर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी की सतह पर आते हैं। सतह पर विवर्तनिक प्लेटों के पार्श्व विस्थापन के कारण मेंटल प्लूम पंक्तिबद्ध हॉटस्पॉट ज्वालामुखी की शृंखला बनाते हैं। इसकी अवधारणा गर्म स्थल संकल्पना (Hot Spot Concept) के अंतर्गत भूकंपरहित कटकों के अध्ययन के दौरान की गई थी।

सामान्य अध्ययन-2

भारतीय संविधान, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली एवं सामाजिक न्याय

2018

प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India?

उत्तर: भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें संघीय व राज्य सरकारों का गठन पूर्ण रूप से लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के आधार पर होता है, अत: चुनाव हमारे देश में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है जिसमें कि वर्ष 1999 के लोकसभा चुनावों से मतदान के लिये ई.वी.एम. का प्रयोग किया जाता रहा है तथा वर्तमान में भारत में लगभग सभी चुनाव ई.वी.एम. के माध्यम से ही संचालित कराए जाते रहे हैं।

ई.वी.एम. की कार्यप्रणाली भारत में लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है परंतु वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पश्चात् ई.वी.एम. को हैक कर चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जाने लगे तथा निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी इस दौर में गंभीर प्रश्न उठे। अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश के भिंड में उपचुनाव के समय, नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के मेरठ उपचुनाव के समय तथा दिसंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के समय ई.वी.एम. की गड़बड़ी के मामले सामने आए।

ई.वी.एम. संबंधी इन विवादों के पश्चात् आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने की है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाए जाने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। हालाँकि, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है परंतु इसकी तकनीकी समस्याएँ दूर करना तथा वीवीपैट युक्त मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी आवश्यक है। भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है परंतु हाल ही में बोत्सवाना के चुनावों में भारत से ई.वी.एम. मंगाए जाने पर वहाँ की विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद अपनी व भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना भी आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती है।

प्रश्न: क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.

उत्तर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन नहीं करा सकता है। वस्तुत: भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 15(5) के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रकार का संवैधानिक आरक्षण देने से छूट मिली हुई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपेक्षा जताई थी कि वह अपने संस्थान में अनुसूचित जातियों के एडमिशन के लिये आरक्षण की व्यवस्था करे। यह मुद्दा तब प्रकाश में आया था जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया (दिल्ली) में दलितों के लिये 'कोटा' देने की बात उठाई थी।

ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था कराने का अधिकार रखता है। इसी कारण आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, से अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करने की अपेक्षा की है।

प्रश्न: किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? ऐसी उद्घोषणा के लागू रहने तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force?

उत्तर: भारतीय संविधान के भाग-18 में वर्णित अनुच्छेद-360 के तहत यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का समाधान हो जाए जिसमें कि भारत की अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता पर संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसी उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2018

प्रश्न: "भारत के इज़राइल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"India's relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back." Discuss.

उत्तर: भारत-इज़राइल संबंध सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ते हुए संबंध हैं और भारत की 'प्रैगमैटिव नीति' के परिणामस्वरूप तथा साझे राष्ट्रीय हितों के कारण दोनों देशों के संबंधों ने गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है। यही कारण है कि कुछ विद्वान दोनों देशों को 'प्राकृतिक मित्र' की संज्ञा देते हैं।

वस्तुत: भारत के इज़राइल के साथ संबंधों की गहराई एवं विविधता को सामरिक, तकनीकी, आर्थिक, रक्षा सहयोग इत्यादि संदर्भों में देख सकते हैं-

- रूस एवं अमेरिका के बाद इज़राइल भारत के लिये रक्षा सामग्री की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत-इज़राइल के मध्य सीमा सुरक्षा प्रबंध की तकनीकी और आतंकवाद का सामना करने की साझा रणनीति पर विशेष सहयोग हो रहा है। दोनों देशों के बीच आसूचना पर भी सहयोग हो रहा है। आतंकवाद की समस्या हेतु दोनों देशों के मध्य एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना हुई, जिसके द्वारा दोनों देशों के मध्य प्रशिक्षण, सूचना और हथियारों के आदान-प्रदान में भी सहयोग किया जा रहा है।
- भारत-इज़राइल के मध्य रक्षा संबंध केवल क्रेता-विक्रेता तक सीमित न होकर हथियारों का साझा उत्पादन, जैसे- बराक प्रक्षेपास्त्र और 'द्रोण' जैसी संवेदनशील तकनीक भी इज़राइल भारत को दे रहा है। सायबर सुरक्षा में भी दोनों के मध्य सहयोग हो रहा है।
- कूटनयिक संबंधों के बाद आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है। भारत का उभरता हुआ बाज़ार इज़राइल के लिये एक अवसर है, जबकि भारत को इज़राइल से बेहतर तकनीक प्राप्त हो सकती है और निवेश की भी संभावना है। दोनों ने एक-दूसरे को सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का दर्जा दिया है।
- इज़राइल विकसित एवं तकनीकी राष्ट्र होने के कारण दोनों देशों के मध्य कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य, संचार क्षेत्र में भी सहयोग देखा जा सकता है। इसके अलावा, संबंधों की गहराई एवं विविधता को दोनों के बीच नागरिकों के आदान-प्रदान अर्थात् पर्यटन के रूप में देख सकते हैं।

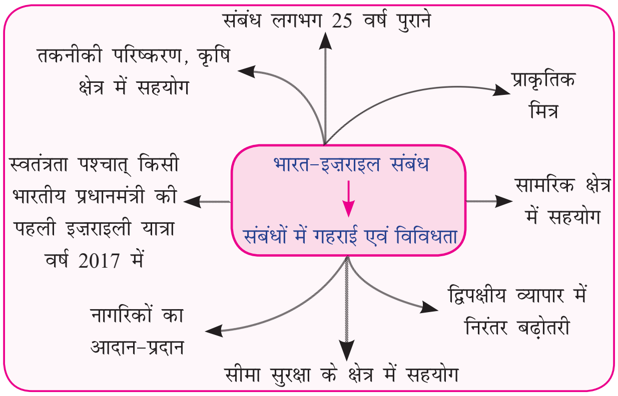

निष्कर्षत: इज़राइल कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है और स्वतंत्रता पश्चात् वर्ष 2017 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार इज़राइल की यात्रा की जो संबंधों की गहराई और विविधता को दर्शाता है। आलोचकों का मत है कि भारत-इज़राइल संबंध फिलिस्तीन के विरुद्ध होने के साथ ही पश्चिम एशिया में भारत के हितों के प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन भारत-इज़राइल संबंधों को फिलिस्तीन के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिये और भारत द्वारा फिलिस्तीन एवं पश्चिम एशियाई देशों के साथ मधुर, मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास पर समानांतर बल दिया जा रहा है जिससे पश्चिम एशिया में भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जा सके।

प्रश्न: मध्य एशिया, जो भारत के लिये एक हित क्षेत्र है, में अनेक बाह्य शक्तियों ने अपने-आप को संस्थापित कर लिया है। इस संदर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

A number of outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is a zone of internet to India. Discuss the implications, in this context, of India's joining the Ashgabat Agreement, 2018.

उत्तर: भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और महाशक्ति होने के कारण भारत के राष्ट्रीय हित व्यापक हैं। इस कारण यह स्वाभाविक है कि मध्य एशिया भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण हित क्षेत्र है।

उल्लेखनीय है कि मध्य एशिया भारत के लिये हित क्षेत्र होने के कारण 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति के तहत मध्य एशियाई देशों के साथ संचार व परिवहन की कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। इन देशों में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके अलावा मध्य एशियाई देश भारतीय वस्तुओं के निर्यात के नए केंद्र बन सकते हैं। साथ ही, मध्य एशिया के देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिसे संतुलित करने के लिये इन देशों से संबंध बेहतर होने आवश्यक हैं। मध्य एशियाई देश सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

सामान्य अध्ययन-3

अर्थव्यवस्था

2018

प्रश्नः "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the *sine qua non* to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)." Comment on the progress made in India in this regard.

उत्तरः सतत् विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अगस्त 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG, 2000-2015) के स्थान पर 'सतत् विकास लक्ष्य' या 'एजेंडा 30' को स्वीकार किया गया है जिसमें 17 मुख्य लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। उन्हीं में से एक (7वाँ) लक्ष्य है "सस्ती, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।"

ऊर्जा और इसकी उपलब्धता आज मानव सभ्यता के सामने आने वाली अधिकांश चुनौतियों और अवसरों को परिभाषित करती है। यह सर्वमान्य है कि आधुनिक ऊर्जा सेवाएँ मानव की भलाई के लिये आवश्यक है, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है तथा स्वच्छ जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य उपयोगी ऊर्जा सेवाओं को प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक है। गरीबों की सस्ती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को सक्षम बनाना है। वहनीय एवं विश्वसनीय तथा आधुनिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से गरीबों तक पहुँचाई जा सकती है। यह गरीब समुदायों को स्थानीय स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिये सक्षम तो बनाता ही है, साथ ही संभावित राजस्व उत्पादन की अनुमति भी देता है।

भारत ने सतत् विकास लक्ष्यों के तहत वहनीय एवं धारणीय ऊर्जा को लोगों की पहुँच तक लाने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे- ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु नेशनल एनर्जी लेबलिंग प्रोग्राम, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबीटेट असेसमेंट (GRIHA) की शुरुआत की है; स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के लिये राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति बनाई है। साथ ही ऊर्जा संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़म, राष्ट्रीय विद्युत नीति आदि को प्रावधानित किया है। सतत् विकास लक्ष्य की पूर्ति हेतु भारत ने आईएनडीसी (INDC) लक्ष्य निर्धारित करते हुए 2030 तक अपनी सकल ऊर्जा ज़रूरत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है।

प्रश्नः केंद्रीय बजट, 2018.2019 में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर (एल.सी.जी.टी.) तथा लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Comment on the important changes introduced in respect of the Long-term Capital Gains Tax (LCGT) and Dividend Distribution Tax (DDT) in the Union Budget for 2018-219.

उत्तरः वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सूचीबद्ध शेयरों, इक्विटी फंडों तथा बिज़नेस ट्रस्टों की यूनिटों के हस्तांतरण से अर्जित ₹ एक लाख से अधिक के दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर 10 फीसद की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी फंडों तथा बिज़नेस ट्रस्टों की यूनिटों से प्राप्त होने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता था। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 2017-18 में फाइल किये गए इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार सूचीबद्ध शेयरों तथा यूनिटों पर पूंजीगत लाभ कर से मिलने वाली कुल छूट ₹ 3.67 लाख करोड़ पहुँच गई है, जिसका बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट तथा सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को प्राप्त हुआ है। ऐसे में, सरकार का मानना है कि पूंजी लाभ कर में दी जाने वाली छूट से यह संकेत जाता है कि सरकार विनिर्माण के खिलाफ है, इसलिये अतिरिक्त पूंजी को ज्यादा से ज्यादा शेयर बाज़ार में लगाओ। साथ ही, सरकार का मत है कि इक्विटी पर रिटर्न पहले ही काफी आकर्षक है और अगर कर लगा दिया जाए तो भी ये आकर्षण कम नहीं होगा। अतः दीर्घकालिक पूंजी लाभ को कर के दायरे में लाना युक्तिसंगत है।

दीर्घावधिक पूंजी लाभ पर कर के साथ ही 2018-19 के बजट में इक्विटी केंद्रित म्यूचुअल फंडों की वितरित आय पर भी 10 फीसद की दर से लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) का प्रस्ताव किया गया है। सरकार द्वारा यह कदम सभी प्रकार के ग्रोथ (वृद्धि) वाले फंडों तथा लाभांश वितरित करने वाले फंडों के साथ एक समान व्यवहार का आधार तय करने के लिये उठाया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

2018

प्रश्न: प्रो. सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किये गए 'बोस-आइन्स्टाइन सांख्यिकी' के कार्य पर चर्चा कीजिये और दर्शाइये कि इसने किस प्रकार भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the work of 'Bose-Einstein Statistics' done by Prof. Satyendra Nath Bose and show how it revolutionized the field of Physics.

उत्तर: आधुनिक भौतिकी को एक नई दिशा देने वाले महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस को क्वांटम भौतिकी में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये जाना जाता है। क्वांटम भौतिकी में उनके अनुसंधान ने 'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' और 'बोस-आइंस्टीन संघनन' सिद्धांत की नींव रखी। भौतिकी में मुख्य रूप से दो प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग होता है। चिरसम्मत सांख्यिकी (Classical Mechanics) जिसमें मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी आता है और क्वांटम सांख्यिकी जिसके अंतर्गत बोस-आइंस्टीन तथा फर्मी-डिराक सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है।

सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में पहली बार प्लांक के विकिरण नियम को एक नए सांख्यिकी ढंग से निकाला और क्वांटम सांख्यिकी का आविष्कार किया। उन्होंने प्रकाश की कल्पना द्रव्यमान रहित कण (फोटॉन) के रूप में की और यह साबित किया कि गैस के कण मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के चिरसम्मत नियमों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी अविभाज्य प्रकृति के कारण एक अलग सांख्यिकी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इस शोध को आइंस्टीन ने कुछ संशोधन के साथ अपनी पत्रिका में प्रकाशित कराया। इसी शोध-पत्र ने क्वांटम भौतिकी में 'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' नामक एक नई शाखा की बुनियाद रखी। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले कणों को पॉल डिराक द्वारा 'बोसॉन' नाम दिया गया।

बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी ने चिरसम्मत भौतिकी की असफलताओं को मिटाते हुए पूरी दुनिया में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में खलबली मचा दी। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के आविष्कार के बाद क्वांटम सिद्धांत के क्षेत्र में अचानक नई खोजों की बाढ़-सी आ गई। फर्मी-डिराक ने फर्मी-डिराक सांख्यिकी की नींव डाली, पॉली ने अपना अपवर्जन (Exclusion) सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा हाइज़ेनबर्ग-मैक्सबार्न-पॉस्कल जार्डन ने मिलकर आव्यूह यांत्रिकी (Metric Mechanics) की खोज की। इस प्रकार सत्येंद्रनाथ बोस ने अपनी खोज द्वारा पूरे भौतिक जगत में एक नई क्रांति ला दी।

प्रश्न: क्या कारण है कि हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता है? इस सक्रियता ने बायोफार्मा के क्षेत्र को कैसे लाभ पहुँचाया है? (250 शब्द, 15 अंक)

Why is there so much activity in the field of biotechnology in our country? How has this activity benefitted the field of biopharma?

उत्तर: जैव प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ अक्सर 21वीं शताब्दी की तकनीक (Technology of 21st Century) के रूप में जाना जाता है। जैवप्रौद्योगिकी एक उच्च अंत:विषय (Interdisciplinary) क्षेत्र है जो जीवों और जैविक प्रणालियों में हेल्थकेयर, दवा, कृषि, भोजन, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यावरण नियंत्रण को आगे बढ़ाने वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिये इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के साथ जैविक विज्ञान को जोड़ता है।

भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र बेहद अभिनव है किंतु विकास के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। भारतीय जैव प्रौद्योगिक उद्योग वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का लगभग 2 प्रतिशत हिस्सा रखता है। भारत दुनिया के शीर्ष 12 बायोटेक स्थलों में से एक है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यह तीसरे स्थान पर है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कई संस्थान चाहे वो सरकारी हो या निजी, इस क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये अवसर प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) की सुविधाएँ प्रदान करके इस क्षेत्र को पर्याप्त अवसर दिया है। भारतीय जैव प्रौद्योगिक क्षेत्र ने पिछले दो दशकों में वैश्विक रूप से काफी ध्यान आकर्षित किया है। भारत की मज़बूत जेनेरिक जैव प्रौद्योगिकी क्षमता के कारण कई वैश्विक कंपनियाँ भारतीय कंपनियों के साथ बड़ी उत्सुकता से हाथ मिला रही हैं। इस प्रकार भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रियता विद्यमान है।

बायोफार्मा, फार्मास्यूटिकल उद्योग का एक उप-समूह है जिसमें जैविक तरीकों से दवाओं का निर्माण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे बड़ा अनुप्रयोग दवाएँ ही हैं जो अनिवार्य रूप से बायोफार्मा है। जैविक प्रणालियों की समझ बढ़ाने के बाद, दवा कंपनियों ने कई दवाओं की खोज और निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। जैव प्रौद्योगिकी विशिष्ट बीमारियों और रोगी समूहों के लिये बेहतर उत्पाद लक्ष्यीकरण प्रदान करती है, विशेष रूप से जेनेटिक्स के अभिनव प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से। जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्रक्रिया पर काफी नियंत्रण रखती है जिससे संक्रामक रोगजनकों के माध्यम से प्रदूषण के जोखिम में महत्त्वपूर्ण कमी आती है। जैव प्रौद्योगिकी नई दवाओं, उपकरणों के विकास और उत्पादन की अनुमति देती है जो अधिक प्रभावी, विशिष्ट और कम दुष्प्रभावी होते हैं। इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी ने बायोफार्मा को हर दिशा में लाभ ही लाभ पहुँचाया है।

पर्यावरण

2018

प्रश्न: **निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं?**

(150 शब्द, 10 अंक)

What are the impediments in disposing the huge quantities of discarded solid wastes which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic wastes that have been accumulating in our habitable environment?

उत्तर: भारत एक तेज़ी से उभरती हुए अर्थव्यवस्था है और इसलिये यहाँ ठोस अपशिष्टों की मात्रा का निरंतर बढ़ना स्वाभाविक ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 150,000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्टों (MSW) का उत्पादन होता है किंतु इनमें से केवल 83% अपशिष्ट को संगृहीत और 30% से भी कम को उपचारित किया जाता है। तकनीकी अक्षमता और वित्तीय अपर्याप्तता के कारण ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और प्रबंधन तक लगभग प्रत्येक स्तर पर चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

व्यक्ति, समुदाय व सरकार सभी स्तरों पर संगठित व वैज्ञानिक रूप से नियोजित पृथक्करण के उपायों का अभाव है। अपशिष्टों के वर्गीकरण का कार्य अधिकांशतः असंगठित क्षेत्रों द्वारा अत्यधिक असुरक्षित व जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में की जाती है। लैंडफिल साइट निर्धारित समयसीमा पूर्ण हो जाने के बाद भी कार्यशील हैं और आए दिन दुर्घटनाओं को जन्म देते रहते हैं। इसके लिये वैकल्पिक स्थलों की मांग नगर निगम व राज्य सरकार के बीच विवाद का विषय बन जाती है।

इसके अलावा कंपोस्टिंग और अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों की या तो कमी है या वे अपनी कार्य क्षमता से कम पर संचालित किये जा रहे हैं।

जहाँ तक बात है इन अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की तो इसके लिये व्यक्तिगत के साथ-साथ संस्थागत प्रयासों की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिये स्रोत पर ही अपशिष्टों का पृथक्करण व वर्गीकरण, रैग पिकर्स को उचित प्रशिक्षण व वित्तपोषण, लैंडफिल साइट्स के आस-पास ग्रीन बेल्ट का निर्माण आदि के माध्यम से जहाँ अपशिष्टों के कुछ दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है वहीं ज़हरीले अपशिष्ट के निपटान में ₹5 (रिड्यूस, रियूज, रिकवर, रिसायकल, व रीमैन्यूफैक्चर) की अवधारणा समेत कोरियाई **'वाल्यूम-बेस्ट्ड वेस्ट फ्री (VBMF) सिस्टम'** को भी अपनाकर इस समस्या का प्रभावी निराकरण किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने के साथ-साथ नगर निगम व राज्य के बीच समन्वय को बढ़ाना भी काफी कारगर साबित हो सकता है।

प्रश्न: **आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिये। भारत से रामसर स्थलों के दो उदाहरणों का उद्धरण दीजिये।**

(150 शब्द, 10 अंक)

What is wetland? Explain the Ramsar concept of 'wise use' in the context of wetland conservation. Cite two examples of Ramsar sites from India.

उत्तर: आर्द्रभूमि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और जो आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरे रहते हैं। इसमें तटीय तथा समुद्री (6M की गहराई तक) नदी, झील, तालाब, नहर, बाढ़ के मैदान, दलदल, मछली के तालाब, ज्वारीय दलदल तथा मानवनिर्मित आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं। इन क्षेत्रों में स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की जैवविविधता पाई जाती है जिस कारण इन्हें इकोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, तथा ये पर्यावरणीय संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा जल का पुनर्भरण व स्वच्छीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं जिस कारण इन्हें किडनीज ऑफ लैंडस्केप भी कहा जाता है।

तीव्रता से होते औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने आर्द्रभूमियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिनके संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ईरान के रामसर में किया गया, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा गया जो कि वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराता है। इसमें वर्तमान में करार करने वाले 158 दल हैं और 1758 वेटलैंड्स स्थल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 161 मिलियन हेक्टेयर है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत भी इसका एक पक्षकार है।

रामसर सम्मेलन को विलुप्त हो रहे वेटलैंड्स प्राकृतिक आवासों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिये जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ताकि वेटलैंड्स के महत्त्वपूर्ण कार्यों, मूल्यों, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में समझ को बढ़ाया जाए, साथ ही इन आर्द्रभूमियों की गुणवत्ता एवं संख्या में भी सुधार किया जाए और उनकी निगरानी एवं संरक्षण को और अधिक बेहतर किया जाए।

भारत विश्व की सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाले देशों में प्रमुख है। यहाँ विशाल नदी तंत्रों से लेकर समुद्र तटीय रेखा है तथा साथ ही दलदलों, झीलों, तालाबों, मैंग्रोव तथा मानवनिर्मित आर्द्रभूमियों की बड़ी संख्या है।

राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के तहत लगभग 115 आर्द्रभूमियों की पहचान की गई है जबकि रामसर सूची में भारत की 36 आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं जिनमें से दो अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की सूची (मान्ट्रेक्स रिकॉर्ड) में शामिल हैं। भारत में मौजूद दो प्रमुख रामसर स्थल निम्नलिखित हैं-

- **केवलादेव घाना रामसर स्थल:** भरतपुर, राजस्थान में स्थित यह आर्द्रभूमि वर्ष 1981 में रामसर स्थल के रूप में सूचित की गई। यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों का प्रमुख गंतव्य स्थल है। इसकी

आपदा प्रबंधन

2018

प्रश्न: भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) के लिये 'सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030)' हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात् किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिये। यह प्रारूप 'ह्योगो कार्रवाई प्रारूप, 2005' से किस प्रकार भिन्न है? (250 शब्द, 15 अंक)

Describe various measures taken in India for Disaster Risk Reduction (DRR) before and after signing 'Sendai Framework for DRR (2015-2030)'. How is this framework different from 'Hyogo Framework for Action, 2005'?

उत्तर: आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्गत आपदाओं के विध्वंसक बलों के प्रभाव, आपदाओं के परिमाण तथा आपदाओं से उत्पन्न जोखिम को कम करना शामिल है। इस दिशा में भारत ने वर्ष 2005 में ह्योगो कार्रवाई प्रारूप से सेंडाई फ्रेमवर्क कार्रवाई प्रारूप तक सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू किया।

भारत ने वर्ष 2004 की सूनामी के पश्चात् वर्ष 2005 में ह्योगो कार्रवाई प्रारूप को अपनाया तथा वर्ष 2005 में ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन गृह मंत्रालय के तहत किया गया। इसके तहत ही भारत में एक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन किया गया।

राज्य स्तर पर एसडीएमए तथा जिला स्तर पर डीडीएमए तथा साथ में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (NCMC) का गठन किया गया तथा राज्य स्तर पर स्टेट एक्सक्यूटिव कमेटी का भी गठन किया गया।

इन सभी प्रयासों के तहत प्रशिक्षण माड्यूल का विकास, आपदा प्रबंधन में अनुसंधान, प्रलेखन कार्य, प्रशिक्षण कार्य, शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों इत्यादि को बढ़ावा दिया गया ताकि ह्योगो फ्रेमर्वक में उल्लेखित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। तत्पश्चात् वर्ष 2015 में भारत ने सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये।

सेंडाई फ्रेमवर्क एक प्रगतिशील ढाँचा है और इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक आपदाओं के कारण बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या में कमी लाना है।

सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की। इसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है।

ह्योगो कार्रवाई प्रारूप 2005 के तहत आपदाओं में कमी लाने के लिये राष्ट्रों और समुदायों के बीच लचीलेपन का व्यवहार किये जाने के साथ क्षेत्रों में सभी अलग-अलग लोगों को आवश्यक कार्यों को समझाने, वर्णन करने तथा विस्तार करने संबंधी सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया था। यह कार्रवाई प्रारूप सेंडाई फ्रेमवर्क से निम्नलिखित रूपों में भिन्न है-

- ह्योगो प्रारूप में आपदा क्षति (Disaster Loss) पर ध्यान दिया गया था जबकि सेंडाई में आपदा जोखिम (Disaster Risk) पर।
- सेंडाई में ह्योगो की तुलना में अधिक विस्तारित रूपों, जैसे- आपदा की प्रकृति, प्रभाव न्यूनीकरण एवं जोखिम आकलन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है।
- सेंडाई के तहत सात लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है जिनमें मुख्यत: वैश्विक मृत्यु दर में कमी, आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में कमी, GDP में आपदा नुकसान को कम करना बुनियादी ढाँचे में नुकसान को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि की चर्चा है, जबकि ह्योगों में लक्ष्य आधारित अप्रोच को अधिक महत्त्व नहीं दिया था।
- ह्योगो में जोखिम के प्रति तैयारी तथा निवारण को महत्त्व दिया गया जबकि सेंडाई में जोखिम पूर्ण आकलन, तैयारी तथा निवारण सभी रूपों पर विस्तृत ध्यान दिया गया है।

निष्कर्षत: सेंडाई फ्रेमवर्क, ह्योगों प्रारूप का अग्रगामी रूप है जिसमें ह्योगो प्रारूप के तहत शामिल नहीं किये गए लक्ष्यों को भी शामिल किया है। साथ ही उद्देश्यों को एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2017

प्रश्न: दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित चौदह देशों में तबाही लायी थी। सुनामी के होने के लिये ज़िम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों (2010) के प्रकाश में, इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिये। (250 शब्द, 15 अंक)

On December 2004, tsumani brought havoc on 14 countries including India. Discuss the factors responsible for occurrence of Tsunami and its effects on life and economy. In the light of guidelines of NDMA (2010) describe the mechanisms for preparedness to reduce the risk during such events.

उत्तर: दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में 9.15 की तीव्रता का भूकंप सुनामी लहर का कारण बना था जिससे सबसे अधिक इंडोनेशिया प्रभावित हुआ। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल सहित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी।

सुरक्षा

2018

प्रश्न: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी.पी.ई.सी.) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल 'एक पट्टी एक सड़क' पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। सी.पी.ई.सी. का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is viewed as a cardinal subset of China's larger "One Belt One Road' initiative. Give a brief description of CPEC and enumerate the reasons why India has distanced itself from the same.

उत्तर: चीन व यूरोप को स्थल मार्ग से जोड़ना चीन का एक महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य रहा है जिसे कि वह 'एक पट्टी एक सड़क' पहल का नाम देता है। 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' इसी परियोजना का मूलभूत घटक है जिसके अंतर्गत चीन के शिनजियांग प्रांत स्थित काशगर' को बलूचिस्तान स्थित 'ग्वादर बंदरगाह' से जोड़ा जाना है। इस गलियारे में विस्तृत सड़क नेटवर्क के अतिरिक्त अवसंरचना के अन्य घटकों, यथा-बांध, रेलवे, पाइपलाइन, विद्युत आदि का भी विकास किया जाएगा। यह विकास मुख्यत: पाकिस्तान में केंद्रित होगा जिससे कि वहाँ अर्थव्यवस्था तथा शेष क्षेत्रकों में भी उल्लेखनीय विकास दर्ज किया जाना अपेक्षित है तथा इस पूरी बेल्ट एंड रोड पहल से चीन को यूरोप तक पहुँच के साथ एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त भी प्राप्त होगी।

भारत ने चीन की इस पूरी पहल से बाहर रहने का निर्णय किया जिसके पीछे निम्नवत कारण समझे जाते हैं-

- भारत के इससे बाहर रहने का सबसे बड़ा कारण सी.पी.ई.सी. का पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र से गुज़रना है। भारत का पक्ष है कि जब तक भारत व पाकिस्तान के बीच यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक विवादित क्षेत्र में निर्माण कार्य भारतीय संप्रभुता व हितों को चुनौती देने जैसा है।
- चीन द्वारा इस परियोजना की प्रक्रिया में हज़ारों सुरक्षाकर्मी तैनात किये जा रहे हैं तथा भारतीय सीमा से इस क्षेत्र के सटे होने के कारण भारत की सीमा सुरक्षा पर चीन द्वारा संकट उत्पन्न किया जा रहा है।
- भारत की एक चिंता इस पहल के दौरान चीन द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण की वापसी की शर्तों में अस्पष्टता से संबंधित है तथा भारत इसे चीन के 'नव उपनिवेशवाद' का अस्त्र बताता है।

चीन की इस परियोजना में विकास कार्यों के नाम पर अनेक छिपे हुए उद्देश्य दिखाई पड़ते हैं, अत: भारत ने अपना स्पष्ट पक्ष रखते हुए स्वयं को इससे दूर रखा है।

प्रश्न: वामपंथी उग्रवाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इससे प्रभावित हैं। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिये भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Left Wing Extremism (LWE) is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. Briefly explain the Government of India's approach to counter the challenges posed by LWE.

उत्तर: भारत में बीते कुछ वर्षों में वामपंथी विचारधारा प्रेरित हिंसक संघर्षों के प्रसार व तीव्रता में अधोमुखी प्रवृत्ति देखी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान देश में वामपंथी उग्रवाद की 908 घटनाओं में 263 लोगों की मृत्यु हुई जो कि वर्ष 2010 में हुई 2213 घटनाओं में हुई 1005 मौतों की तुलना में अत्यधिक कम है। हालाँकि अभी भी 10 राज्यों के 106 ज़िले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं तथा 7 राज्यों के 35 ज़िले गंभीर रूप से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। यह संख्या पिछले वर्षों से तुलनात्मक रूप से कम है परंतु हाल में लाल गलियारे के सुदूर दक्षिण (केरल-तमिलनाडु सीमा) तक विस्तृत हो जाने से नई चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

वामपंथी उग्रवादजनित चुनौतियों से निपटने के लिये भारत सरकार सुरक्षा व विकास दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कार्य कर रही है। चूँकि कानून-व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, अत: संघीय सरकार इस संदर्भ में निगरानी करने, राज्यों के प्रयासों को समन्वित तथा संपूरित करने, राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य करने, केंद्रीय बल मुहैया कराने तथा पुलिस को सटीक व त्वरित आसूचना संप्रेषित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रभावित ज़िलों के बहुआयामी विकास की दिशा में तथा इस संदर्भ में राज्यों की क्षमता विकसित करने पर बल दे रही है।

समग्रत: वामपंथी उग्रवाद आज भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है तथा सरकार पूरी गंभीरता के साथ सभी आयामों का समावेशित कर इसे समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही है।

प्रश्न: अंकीयकृत (डिजिटाइज़्ड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा समिति रिपोर्ट में डाटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच-विचार किया गया है। आपके विचार में साइबर स्पेस में निजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट की खूबियाँ और खामियाँ क्या-क्या हैं? (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर: इंटरनेट की दुनिया जैसे-जैसे अपना विस्तार करती जा रही है, इंटरनेट पर निजी जानकारी को सुरक्षित रखने में भी उसी गति से

सामान्य अध्ययन-4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

2018

प्रश्न: 1: (a) सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के, तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिये और उनके महत्त्व को उजागर कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

State the three basic values, universal in nature, in the context of civil services and bring out their importance.

उत्तर: भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं व सिविल सेवकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य के प्रमुख 'एजेंट' होते हैं। सिविल सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए सिविल सेवकों में सार्विक प्रकृति के तीन आधारभूत मूल्यों– सत्यनिष्ठा, करुणा और सहिष्णुता का होना आवश्यक है। सार्विक प्रकृति के मूल्यों से आशय उन मूल्यों से है जिन्हें विश्व के अधिकांश समाज व समुदायों में मान्यता प्राप्त होने व समाज में प्रचलन में होने तथा देश, काल, परिस्थितियों का जिन पर प्रभाव न पड़ता हो, जैसे– करुणा का मूल्य। करुणा को भारतीय व पश्चिमी समाज में अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। संपूर्ण विश्व में परोपकार की मूल भावना का कारण 'करुणा' ही है।

वस्तुत: सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज़ के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा होने से कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जनता का विश्वास प्राप्त हो जाता है जिससे सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में जनता का सक्रिय सहयोग मिलता है। कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा की उपस्थिति इस बात की गारंटी देती है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है, वे लाभ सचमुच उन्हें प्राप्त होंगे।

करुणा एक सामान्य भाव है जो कमज़ोर व्यक्तियों या प्राणियों की पीड़ा को महसूस कर उनकी सहायता की इच्छा उत्पन्न होने की भावना से उत्पन्न होता है। लोकसेवाओं में करुणा का मूल्य होने से लोक सेवक कमज़ोर एवं गरीब वर्गों की स्थिति में सुधार करने के साथ ही उनकी दशा सुधारने के लिये भीतर से प्रतिबद्ध होंगे, जिससे इन वर्गों की जीवन स्थिति में गुणात्मक सुधार और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

सहिष्णुता का संकीर्ण अर्थ सहन करना है। जबकि व्यापक अर्थ अपने विरोधी एवं विभिन्न भाषा, लिंग, धर्म, विचार इत्यादि समुदायों व व्यक्तियों के विचारों, मान्यताओं को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने से है एवं उनके विचार वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित एवं तार्किक होने पर उन्हें अपनाने से है। भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में सभी समाजों के वैविध्य में वृद्धि हो रही है। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयताओं के विभिन्न समूह साथ-साथ रहते हैं। इन परिस्थितियों में लोकसेवाओं में सहिष्णुता होने से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ ही समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक होते हैं। भारत एवं अन्य विविधतावादी देशों में लोकसेवाओं में यह गुण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

निष्कर्षत: लोकसेवाओं में इन आधारिक मूल्यों से समाज, प्रशासन व राजनीति सभी को लाभ पहुँचता है और देश की प्रगति व विकास में लोकसेवक समुचित तरीके से अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करते हैं।

प्रश्न: 1: (b) उपयुक्त उदाहरणों सहित "सदाचार-संहिता" और "आचार-संहिता" के बीच विभेदन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Distinguish between "Code of ethics" and "Code of conduct" with suitable examples.

उत्तर: नीति संहिता और आचरण संहिता दोनों का ही संबंध प्रशासन या प्रबंधन में नैतिकता की स्थापना से है। सदाचार संहिता या कोड ऑफ एथिक्स में प्रशासन या प्रबंधन से जुड़े कुछ आधारभूत मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट, सदाचार संहिता पर आधारित दस्तावेज़ होता है जो प्रशासन या प्रबंधन में कुछ निश्चित कार्यों या आचरणों के बारे में यह बताता है कि किसी अधिकारी को इन्हें करना चाहिये या नहीं।

उल्लेखनीय है कि व्यावहारिक तौर पर इन दोनों को पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं है किंतु सैद्धांतिक तौर पर इनमें अंतर किया जा सकता है। सदाचार संहिता सामान्य व अमूर्त होती है जबकि आचरण संहिता विशिष्ट व मूर्त।

इसके अलावा, सदाचार संहिता के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है जबकि 'आचार संहिता' के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। सदाचार संहिता करणीय व अकरणीय के कुछ मानदंड निर्धारित कर प्रशासकों के व्यवहार में सुनिश्चितता लाती है। चूँकि प्रशासन के नैतिक मूल्य आधारभूत मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसलिये यह संभव है कि विभिन्न देशों या एक ही देश में सरकार के विभिन्न अंगों, विभागों आदि की सदाचार संहिताएँ एक जैसी हों। परंतु आचार संहिताएँ एक जैसी सदाचार संहिताओं पर आधारित होकर भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं क्योंकि एक ही नैतिक मूल्य अलग-अलग विभागों में विभिन्न रूपों में व्यक्त हो सकता है। जैसे कि 'प्रतिबद्धता' का नैतिक मूल्य प्राय: सभी विभागों की सदाचार संहिताओं में पाया जाता है। सैनिक आचरण संहिता में 'प्रतिबद्धता' का अर्थ युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपना जीवन अर्पण

केस स्टडीज़

2018

प्रश्न 1: राकेश ज़िला स्तर का एक ज़िम्मेदार अधिकारी है जिस पर उसके उच्च अधिकारी भरोसा करते हैं। उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा है।

लाभार्थी होने के लिये निम्नलिखित कसौटियाँ हैं:

(a) 60 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो।
(b) किसी आरक्षित समुदाय से संबंधित हो।
(c) परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम हो।
(d) इलाज के बाद लाभार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक अंतर होने की प्रबल संभावना हो।

एक दिन एक वृद्ध दंपति राकेश के कार्यालय में योजना के लाभ के लिये आवेदन-पत्र ले कर आया। वे उसके ज़िले के एक गाँव में जन्म से रहते आए हैं। वृद्ध व्यक्ति की बड़ी आँत में एक ऐसे विरले विकार का पता लगा जिससे उसमें रुकावट पैदा होती है। परिणामस्वरूप, उसके पेट में बार-बार तीव्र पीड़ा होती है जिससे वह कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है। वृद्ध दंपति की देखरेख करने के लिये कोई संतान नहीं है। एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक, जिससे वे मिले हैं, बिना फीस के उनकी शल्य चिकित्सा करने को तैयार है। फिर भी, उस वृद्ध दंपति को आकस्मिक व्यय, जैसे दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च, आदि जो लगभग ₹1 लाख होगा, स्वयं ही वहन करना पड़ेगा। दंपत्ति मानक 'ब' के अलावा योजना का लाभ प्राप्त करने की सारी कसौटियाँ पूरी करता है। फिर भी, किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता निश्चित तौर पर उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी अंतर पैदा करेगी।

राकेश को इस परिस्थिति में क्या अनुक्रिया करनी चाहिये?

(250 शब्द, 20 अंक)

Rakesh is a responsible district level officer, who enjoys the trust of his higher officials. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under a healthcare scheme meant for senior citizens.

The criteria to be a beneficiary are the following:

(a) 60 years of age or above.
(b) Belonging to a reserved community.
(c) Family income of less than ₹ 1 lakh per annum.
(d) Post-treatment prognosis is likely to be high to make a positive difference to the quality of life of the beneficiary.

One day, an old couple visited Rakesh's office with their application. They have been the residence of a village in his district since their birth. The old man is diagnosed with a rare condition that causes obstruction in the large intestine. As a consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labour. The couple have no children to support them. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fee. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges, such as medicines, hospitalization, etc., to the tune of ₹1 lakh. The couple fulfills all the criteria except criterion 'b'. However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life.

How should Rakesh respond to the situation?

उत्तर: वृद्ध दंपतियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अमानवीय दशाओं में अपना जीवन-यापन करना पड़ता है क्योंकि वृद्ध दंपति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं और यह समस्या तब और जटिल हो जाती है जब उनकी देखभाल एवं रखरखाव के लिये कोई संतान न हो; उपर्युक्त प्रकरण में इन्हीं परिस्थितियों व समस्याओं को उल्लिखित किया गया है।

वस्तुत: राकेश की ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए उसे वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया है और लाभार्थी होने की कसौटियाँ भी बताई गई हैं। अत: राकेश का यह कर्त्तव्य व जवाबदेही बनती है कि वह कसौटियों के अनुसार ही योजना के लाभार्थियों का चयन करे तथा इन कसौटियों में वृद्ध दंपति मानक "ब" का पालन नहीं करता है इस कारण वह इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता है। यह भी संभव है कि अगर इस वृद्ध दंपति को इस योजना का लाभार्थी बनाया जाए, तो कोई आरक्षित समुदाय का वृद्ध व्यक्ति इस योजना से बाहर हो जाए क्योंकि इस योजना का वास्तविक लाभार्थी आरक्षित समुदाय है जिससे इस योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

लेकिन, अब यह सवाल उठता है कि वृद्ध दंपति केवल मानक "ब" का पालन नहीं करता है, जबकि अन्य सभी कसौटियों का प्रभावी पालन करता है। चूँकि, वृद्ध दंपति के पास कोई संतान भी नहीं है जो वृद्ध दंपत्ति के इलाज का खर्च वहन कर सके। इन परिस्थितियों में यह प्रभावी विकल्प है कि मैं वृद्ध दंपति को योजना का लाभार्थी बनाऊँ और इलाज के लिये वित्तीय मदद करूँ।

इस बिंदु पर भी विचार करना ज़रूरी है कि एक विशेषज्ञ शल्य चिकित्सक भी उनकी शल्य चिकित्सा बिना फीस के करने को तैयार है। वृद्ध व्यक्ति के पेट में बार-बार तीव्र पीड़ा होती है जिससे वह शारीरिक श्रम नहीं कर सकता है। अत: वृद्ध दंपति की शल्य चिकित्सा पश्चात् वह शारीरिक श्रम करके अपनी जीवन-गुणवत्ता में सुधार के साथ ही राष्ट्र के

2018 में पूछे गए निबंध

1 'जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें'
(Alternative technologies for a climate change resilient India)

"जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर
इंसा सब कुछ काट रहा है
छील-छील के खाल ज़मीं की
टुकड़ा-टुकड़ा बाँट रहा है
आसमान से उतरे मौसम
सारे बंजर होने लगे हैं
मौसम बेघर होने लगे हैं।"

कवि गुलज़ार की ये पंक्तियाँ प्रकृति के अवक्रमण में मानवीय भूमिका की गाथा कह रही हैं जिसका परिणाम आज हमारे सामने 'जलवायु परिवर्तन' के रूप में उपस्थित हुआ है। इस जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक ओर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की बर्फीली चट्टानें पिघल रही हैं तो दूसरी ओर धरती का तीसरा ध्रुव अर्थात् हिमालय, हिंदुकुश पर्वतमाला का बर्फीला क्षेत्र भी संकुचित हो रहा है। निश्चित ही तीसरे ध्रुव के इस संकुचन का प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस बहुआयामी एवं बहुव्यापी प्रभाव का सामना करने के लिये हमारे पास जलवायु सुनम्य (जलवायु सह्य) तकनीकें प्रमुख आधार बनकर उभरी हैं। इन तकनीकों में वैज्ञानिक खोजें तथा परंपरागत व स्वदेशी ज्ञान से अर्जित वैकल्पिक तकनीकें शामिल हैं। ध्यातव्य है कि जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो जलवायु के गुणों में विविध परिवर्तन को संदर्भित करता है और जिसकी पहचान सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से की जाती है। जलवायु परिवर्तन की इस प्रक्रिया में औद्योगीकरण के पश्चात् मानवीय कारक ने प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत सहित पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, प्रवासन, बीमारियाँ, राजनीतिक अस्थिरता एवं सशक्त संघर्ष का खतरा बढ़ा है।

मानवता पर आसन्न उपर्युक्त खतरों ने मानव को विवश किया है कि वह जीवन-योग्य भविष्य के निर्माण के लिये सतत्, समावेशी एवं स्थायी वर्तमान की अवधारणा को स्वीकार करे। निश्चय ही इस प्रक्रिया ने मानव को जलवायु सुनम्य (जलवायु सह्य) तकनीकों के विकास के लिये प्रेरित किया है। 'सुनम्यता' एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा एक खतरनाक घटना या प्रवृत्ति या परेशानी का सामना करने के लिये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों को तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन प्रणालियों की पहचान, कार्यप्रणाली तथा संरचना को सुरक्षित रखते हुए इनकी अनुकूलन क्षमता को बनाए रखा जाता है। भारत के संदर्भ में सुनम्य वैकल्पिक तकनीकों पर विचार करने से पहले यहाँ जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को समझ लेना आवश्यक होगा। जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को सत्यापित करने वाली विभिन्न आई.पी.सी.सी. (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) की रिपोर्टों पर यदि ध्यान दें तो उनमें स्पष्ट किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से नदीय, तटीय एवं शहरी बाढ़ में वृद्धि से बड़े पैमाने पर अवसंरचना, आजीविका एवं बसावट में बदलाव आएगा। इसके अलावा तापजन्य मृत्यु, सूखाजन्य खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण में वृद्धि जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन 2030 तक 122 मिलियन लोगों को अति गरीबी की अवस्था में ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत भी गरीब जनसंख्या के दबाव का सामना कर सकता है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से बढ़ने वाले समुद्री जलस्तर से मुंबई व कलकत्ता जैसे महानगरों का एक बड़ा क्षेत्र डूब सकता है तो दूसरी ओर सागरीय जल के तापमान में वृद्धि से 'कोरल ब्लीचिंग' बढ़ेगी एवं समुद्री खाद्य संसाधनों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

चूँकि, समुद्र पर्यावरण व जलवायु के प्रमुख निर्धारक होते हैं तथा इन समुद्रों में होने वाली तापवृद्धि निश्चय ही चिंतनीय है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही लक्षद्वीप भारत का 'जलवायु परिवर्तन शरणार्थी' संकट का सामना करने वाला पहला क्षेत्र बन सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हाल की कुछ घटनाओं पर यदि गौर करें तो इसके खतरों को और गहराई से महसूस कर सकते हैं, जैसे पिछले कुछ वर्षों में आई चेन्नई व मुंबई की बाढ़ हो या हाल की केरल की बाढ़। इसी प्रकार 'हुदहुद' एवं 'ओखी' जैसे चक्रवातों की बारंबारता हो या उत्तराखंड में केदारनाथ की त्रासदी। इसके अलावा उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, तमिलनाडु का सूखा तथा चरमताप की बढ़ती घटनाएँ भारत के लिये प्रमुख चुनौती रही हैं। उपर्युक्त चुनौतियों एवं संकट के वातावरण में जो प्रमुख प्रश्न भारत के सामने उभरता है वह यह है कि भारत अपनी विशाल आबादी की आजीविका, स्वास्थ्य तथा विकास को कैसे सुनिश्चित कर पाएगा। भारत की लगभग 36 प्रतिशत विशाल गरीब आबादी को यदि गरीबी

2017 में पूछे गए निबंध

1 भारत में अधिकतर कृषकों के लिये कृषि जीवन-निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। (Farming has lost the ability to be a source of subsistence for majority of farmers in India.

एक प्रतिष्ठित पत्रिका का पत्रकार कृषि की स्थिति का जायज़ा लेने के लिये गाँवों में किसानों के बीच जाता है तथा उनसे बतौर सर्वे एक प्रश्न पूछता है कि आप अपने बच्चे को भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं? प्राप्त उत्तर बहुत चौंकाने वाला होता है। एक ऐसे देश में जहाँ कृषि मात्र एक आर्थिक व्यवसाय व रोज़गार का प्रश्न न होकर लोगों की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था तथा आस्था से जुड़ा मामला है, जहाँ कृषकों की फसलों के हिसाब से त्यौहारों का निर्धारण होता है तथा कवियों की कल्पना में इसके स्वर्णिम दौर के गीत विद्यमान हैं, वहाँ 40% किसान अपने बच्चे को किसानी के धंधे को नहीं अपनाने देना चाहते! उनके अनुसार विकल्प के रूप में वे बच्चे को कुछ भी सम्मानजनक कार्य करने की सहमति दे देंगे, लेकिन खेती-किसानी की नहीं!! किसानों का यह उत्तर एकबारगी चौंकाता ज़रूर है; लेकिन कोई भी प्रबुद्ध संवेदनशील व्यक्ति भारत में कृषि की स्थिति को देखेगा तो संभवत: यही उत्तर देगा। कृषकों में लगातार बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति भारत में कृषि के जीवन निर्वाह के बेहतर साधन न रह जाने की तस्दीक ही करती है। यह विडंबना इसलिये भी ज़्यादा वीभत्स महसूस होती है क्योंकि भारत ही वह देश है जहाँ 'भूमि' को 'माँ' का दर्जा दिया गया है, जहाँ हर जलवायु उपलब्ध है, जहाँ हर प्रकार की फसल को समर्थन देने वाली मिट्टी है, नदियों का इतना विस्तृत संगम है जो सिंचाई की आवश्यकता को पूरा कर सकता है और पर्वत, पठार, तटीय मैदान, डेल्टा आदि भी यहाँ हैं जिनमें हर प्रकार की फसल का उत्पादन हो सकता है। एक ऐसा विशाल मानव श्रम भी यहीं है जो कृषि से संबंधित पारंपरिक ज्ञान भी रखता है तथा इसके साथ ही उत्पादन को खपाने के लिये विशाल बाज़ार की भी यहाँ उपलब्धता है। कवि ने इसी वजह से 'भारत' को 'खेत' का पर्याय माना है-

"भारत......
मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द
जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए
बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं
भारत के अर्थ
किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं
वरन् खेत में दायर है
जहाँ अन्न उगता है।"

ऐसे में मन में कुछ प्रश्नों का उठना लाज़िमी है, मसलन ऐसे कौन से लक्षण हैं जो भारत में कृषि के जीवन-निर्वाह के सक्षम स्रोत न रह जाने की पुष्टि करते हैं? क्या कृषि की यह दशा भारत में ही है? क्या सभी कृषकों की ऐसी ही स्थिति है? या इसमें भी छोटे-बड़े कृषक, ज़मींदार-रैय्यत व मज़दूर की स्थिति अलग-अलग है? जब कुछ बड़े किसान आज भी कृषि से लाखों कमा रहे हैं तो बाकियों के लिये यह दु:खदायी साधन क्यों है? कृषि का जीवन निर्वाह का स्रोत न रह जाना क्या वर्तमान की स्थितियों का परिणाम है या कृषि की नियति हमेशा से ही ऐसी रही है? मूल प्रश्न यह है कि कृषि की स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों कृषि 'प्राणदायिनी' से 'मौत का औज़ार' बन गई हैं? क्यों आज किसान को सोचते हुए वही स्मृति आती है जो प्रेमचंद ने 'होरी' का वर्णन करते हुए लिखी थी? क्यों पढ़-लिख जाने को किसानी से दूर जाने का पर्याय माना जाता है? और अंतत: कृषि की यह स्थिति कब व कैसे सुधरेगी? इन प्रश्नों की तह तक जाकर ही हम इस मुद्दे की मूल ज़रूरत के साथ न्याय कर पाएंगे।

वर्तमान में, भारत में लगभग 50% प्रत्यक्ष व 70% अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन निर्वाह का साधन कृषि है। ये लोग कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन के अलावा पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, वन-वर्द्धन आदि क्रियाओं को संपन्न करते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश व्यक्ति इनके माध्यम से एक सम्माननीय व गरिमापूर्ण जीवन हेतु आवश्यक अवयवों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वर्ग की शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, बेहतर आवास व अवसर आदि तक पहुँच अभी भी दुरूह बनी हुई है। ज़्यादा चिंतनीय बात तो यह है कि किसानों का एक बड़ा वर्ग कृषि के माध्यम से जीवन-निर्वाह भी नहीं कर पा रहा है तथा आत्महत्या द्वारा जीवन समाप्त करने के लिये अभिशप्त है। निश्चित तौर पर कृषक वर्ग में एक समूह ऐसा भी है जो किसानी के माध्यम से ऐशो-आराम का जीवन जी रहा है तथा जिसके लिये कृषि जीवन-निर्वाह का साधन होने की बजाय एक लाभप्रद व्यवसाय है; परंतु ऐसे लोग अपवाद की संख्या में ही हैं; अधिकांश लोगों के लिये कृषि अस्तित्व का ही प्रश्न बनी हुई है। अपवादस्वरूप जो लोग कृषि के माध्यम से सम्माननीय व आर्थिक रूप से लाभप्रद जीवन जी रहे हैं वे उस समूह से संबंधित हैं जो या तो कर बचाने के लिये कृषक का लबादा ओढ़े हुए हैं या वे जिनके लिये कृषि मात्र एक अल्पकालिक पेशा है। भूमि का बड़ा स्वामित्वधारी कृषक वर्ग जो विभिन्न योजनाओं व उपकरणों का बेहतर प्रयोग कर पा रहा है, के लिये ही कृषि जीवन-निर्वाह का सक्षम स्रोत बनी हुई है।

2016 में पूछे गए निबंध

1 स्त्री-पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किये बिना विकास संकटग्रस्त है। (If development is not engendered, it is endangered)

"एक दिन औरत का दिन होगा
एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियाँ
दुनिया के सारे बच्चों को
उसकी हँसी में होगी सिर्फ हँसी और कुछ नहीं होगा
वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध, सारे धर्म
वह ऐतबार का पाठ पढ़ाएगी।"

प्राचीन काल से ही (जब से पशुधन से संपत्ति संग्रहण का प्रचलन हुआ) पितृसत्ता का ज़ोर चला आ रहा है। हालाँकि प्रारंभिक मानव समाज मातृसत्तात्मक था, उसके पर्याप्त साक्ष्य जगह-जगह मिलते रहते हैं। समाज, धर्म, आर्थिक व्यवहार, राजनीति; हरसंभव भूमिकाओं में स्त्री को हटाकर उसे घर-परिवार व प्रजनन तक सीमित रखने की कोशिश चलती रही है। समय-समय पर इसके अपवाद भी मिलते रहे हैं पर विभिन्न कालखंडों में कोई स्वर्ण युग स्त्री का भी है, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। आधुनिक काल में जाकर इस आपराधिक जड़ता को तोड़ने की कोशिश शुरू हुई। स्त्री-पुरुष असमानता और लिंग-भेद के समापन का विचार एक आधुनिक विचार है। ओलिम्प डी गाउसेज (Olympe de Gouges) ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की तर्ज़ पर 'स्त्रियों और स्त्री नागरिकों के अधिकारों की घोषणा' तैयार की, जिसका प्रकाशन 1791 में हुआ और उसे फ्राँस की राष्ट्रीय असेंबली के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया, पर कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई। इस दौर में स्त्री आंदोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ मेरी वोल्सटनक्राफ्ट (Mary Wollstonecraft) की पुस्तक 'स्त्री अधिकारों का प्रतिपालन' (A Vindication of the Rights of Women) है, जिसका प्रकाशन 1792 में हुआ। इसे स्त्री-विमर्श और उसके सरोकारों की बहुत महत्त्वपूर्ण पहल माना जाता है। जुलाई 1848 में न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन (Alizabeth Cady Stanton) और लुक्रेसिया मोट (Lucretia Mott) की अगुआई में पहला स्त्री अधिकार सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने स्त्रियों के लिये मताधिकार सहित पूर्ण कानूनी समानता, पूर्ण शैक्षिक और व्यावसायिक अवसर, समान मज़दूरी और समान मुआवज़े की मांग उठाई। फिर यह आंदोलन तेज़ी से यूरोप तक जा पहुँचा और आज यह काफी महत्त्वपूर्ण स्थिति में पहुँच चुका है। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो किया जाना शेष है, क्योंकि अभी भी विकास की प्रक्रिया में स्त्री व पुरुष सरोकारों को समान स्थान प्राप्त नहीं है तथा दुनिया की ऐसी तमाम जगहें हैं, जहाँ अभी भी औरतों को पुरुष की अधीनस्थ की तरह रखने पर ज़ोर दिया जाता है। दोनों के बीच भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक, हर स्तर पर होता है। जब तक इस तरह का भेदभाव होता रहेगा तब तक विकास संकटग्रस्त रहेगा।

एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि क्या विकास के संदर्भ में स्त्री-पुरुष के सरोकारों में कुछ भिन्नता होती भी है या नहीं? या फिर मामला केवल सशक्तिकरण का ही है? सामान्य तौर पर तो यही लगता है कि विकास के सभी उपादानों की स्त्री-पुरुष दोनों को ज़रूरत है। व्यवस्था या तंत्र को बस यह देखना है कि वह लिंग-भेद न करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, भोजन, सुरक्षा, आवास आदि की तो स्त्री व पुरुष दोनों को ज़रूरत है, फिर अलग सरोकारों की बात कहाँ से आई? एक सामान्य प्रश्न उठ सकता है, पर वास्तव में यह मुद्दे का सरलीकरण होगा। स्त्री और पुरुष की शारीरिक व सामाजिक स्थिति में काफी फर्क है। स्त्री को हर महीने माहवारी होती है, उसे 9 महीने गर्भ धारण करना होता है। वह रात में, अकेले होने की स्थिति में तथा अनजान जगहों पर असुरक्षित महसूस करती है। अत: स्त्रियों को लिंग समानता के साथ लिंग विशिष्टता को भी अपने विकास के सरोकारों में शामिल कराने की जद्दोजहद करनी पड़ी। मार्क्स ने पहली बार नेतृत्वशास्त्र और इतिहास की खोजों के आधार पर स्त्री-पुरुष के बीच असमानता और स्त्री की अधीनता के प्राकृतिक कारणों की धारणा का तर्कसंगत निर्मूलन करते हुए यह सिद्ध किया कि स्त्री की पराधीनता और पुरुष स्वामित्व का जन्म आदिम समाजों में निजी स्वामित्व के जन्म और वर्गों के उद्‌भव की प्रक्रिया के साथ हुआ। उनकी तार्किक निष्पत्ति यह थी कि स्त्री पराधीनता की पूर्ण समाप्ति निजी स्वामित्व और वर्ग विभेद की समाप्ति के साथ ही संभव हो सकती है। लेकिन मामला इतना आसान न था, कारण और भी थे। धर्म उसमें एक प्रभावी कारक था। आश्चर्यजनक रूप से धर्म पुरुष सत्ता का प्रतीक था। प्रत्येक धर्म का ईश्वर एक पुरुष था, ज़्यादातर देवता भी। यही कारण था कि धर्मों ने महिलाओं पर सबसे ज़्यादा बेड़ियाँ लादीं (बताया गया कि यह उनके हित के लिये बहुत आवश्यक है)। ऐसे प्रतिबंध लगाए

2015 में पूछे गए निबंध

1 किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बँटाना बेहतर है। (Lending hands to someone is better than giving a dole)

"तुम्हारी दक्षिणा और दान
सहायता अनुदान
ये कुछ व्यर्थ से उपक्रम हैं
कि इनसे, आवश्यकताएँ क्षणिक/तुष्ट हो सकती हैं
लेकिन, इनकी पूर्णता पर शाश्वत संशय रहेगा
यदि लक्ष्य है कि-
आवश्यकताओं की चिर पूर्ति होती रहे
तो इन्हें, कलम दो, कला दो, कौशल दो।"

भारतीय समाज में दान एवं अनुदान को बड़ा महत्त्व दिया गया है। प्रायः हर धर्म में दान को एक श्रेष्ठ कर्म बताया गया है तथा अपने अधिशेष के एक बड़े भाग को दान में देने की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया है। छांदोग्योपनिषद् में दान को नित्यकर्म की तरह अनिवार्य बताते हुए कहा गया है- *'श्रद्धेया देयम्, हिया देयम्, भिया देयम्।'* अर्थात् श्रद्धा से हो या लज्जा से या भय से, दान नित्य देना चाहिये। अनुदान एवं दान की विभिन्न किवदंतियाँ हमारे पौराणिक ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अनुदान देने का ज़िक्र आता है, वहीं वेदों में वैसे ब्राह्मणों को अनुदान देने की चर्चा मिलती है जो शारीरिक रूप से अक्षम अथवा बुजुर्ग थे। प्राचीन शासकों से लेकर आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में भी अनुदान दिये जाते रहे हैं।

परंतु दान या अनुदान देने की यह परंपरा, जिसे कभी श्रेष्ठ एवं अनिवार्य समझा जाता था, उसकी महत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। आलोचना का मूल बिंदु यह है कि क्या महज़ कुछ रुपयों और आर्थिक संसाधनों के रूप में दिये जाने वाले ये अनुदान लोगों को धारणीय रूप से लाभ पहुँचाने में सक्षम हैं? क्या सहायता के रूप में दी जाने वाली इस राशि से उनकी आवश्यकताओं का स्थायी समाधान संभव है? अगर सम्यक् रूप से इसके व्यावहारिक पहलुओं पर विचार करें तो अनुदान वास्तव में केवल तात्कालिक तुष्टिकरण के सिवा कुछ विशेष लाभकारी नहीं मालूम होता। यह न केवल लोगों को पराश्रित बना देता है, बल्कि उनकी नैसर्गिक क्षमताओं का भी ह्रास करता है। किसी को निरंतर बैसाखी देकर चलाने की आदत उसे उसकी चलने की प्राकृतिक क्षमता से भी विपन्न कर देती है। यह भी देखा गया है कि जिन्हें निरंतर दान या अनुदान दिया जाता है, उन्हें मुफ्तखोरी की ऐसी लत लग जाती है कि फिर वे अपने हाथ-पैर चलाकर या श्रम द्वारा अपना पेट भरना नहीं चाहते। वे इस तरह निकम्मे हो जाते हैं कि आश्रित होकर ही अपना भरण-पोषण करने की आदत से लाचार हो जाते हैं। हमने ट्रेनों में, स्टेशनों पर, धर्मस्थलों के बाहर लंबी कतार में खड़े कई ऐसे भिखारियों को देखा है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं एवं शारीरिक श्रम द्वारा अपना जीवन-यापन कर सकते हैं, परन्तु वे मांगकर अपना गुज़ारा कर रहे हैं। ये उनकी उसी लाचार आदत का परिणाम है।

अतार्किक रूप से दिया जाने वाला अनुदान वास्तव में दोनों पक्षों को नुकसान पहुँचाता है। अनुदान देने वाले अपनी ओर से तो आर्थिक घाटे में रहते ही हैं, उनका नुकसान महज़ कुछ रुपयों और आर्थिक संसाधनों का है, परन्तु अनुदान प्राप्त करने वाले कई प्रकार से नुकसान में रहते हैं। उनकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में एक ठहराव आ जाता है, उनमें एक प्रकार का निकम्मापन भी घर कर जाता है तथा वे अपने-आप को समाज का निम्न एवं तुच्छ वर्ग मानने लगते हैं एवं उनके आत्मसम्मान में निरंतर गिरावट आने लगती है। वैदिक काल में जब ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था तो शासकों द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान देने की प्रथा के कारण कई ब्राह्मण निकम्मे हो गए और अपने कार्य से विमुख होते चले गए। जो उनके पतन का एक प्रमुख कारण बना।

2014 में पूछे गए निबंध

1 अधिकार (सत्ता) बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। (With greater power comes greater responsibility)

अधिकारों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही मांग के इस दौर में वाल्टेयर का कथन कि *"अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है।"* हमें अपने अधिकारों के साथ ही साथ ज़िम्मेदारियों का भी बोध करा जाता है। रूसो ने कहा था कि *"मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परन्तु वह समाज में हर जगह बेड़ियों से जकड़ा है।"* ये बेड़ियाँ दरअसल उसके कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों की बेड़ियाँ हैं जहाँ हर व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। अगर हम किसी की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं तो विधि के नियमों के मुताबिक हमें दण्डित भी किया जा सकता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में बड़ी महीन रेखा हमारे उत्तरदायित्वों की होती है जिसका अतिक्रमण किसी दूसरे के अधिकारों का हनन है। सच तो यह है कि हमें हर पल उन उत्तरदायित्वों का ध्यान रखना चाहिये जो कि एक इंसान का इंसान के प्रति है, इंसान का प्रकृति और पर्यावरण के प्रति है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में विभिन्न मौलिक अधिकारों की बात की गई है, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग द्वारा कुछ सार्वभौमिक मानवाधिकारों की भी घोषणा की गई है। सभ्यता के विकास क्रम में हम जैसे-जैसे विकसित और आधुनिक हो रहे हैं वैसे-वैसे हमारे जीवन को स्वतंत्र बनाने वाले तमाम अधिकारों की मांग बढ़ती जा रही है और इनमें से तमाम अधिकार मिल भी रहे हैं। तमाम दलित, वंचित, शोषित जातियों को उनके जीवन अधिकार और मानव अधिकार संवैधानिक अधिकारों के द्वारा ही संभव हो सके हैं। विज्ञान और तकनीकी विकास के इस युग में हम आधुनिक तो हो रहे हैं परन्तु यह विडम्बना ही है कि जीवन तथा समाज के हर क्षेत्र से मूल्यों का पतन हो रहा है। वे मूल्य जो समावेशी विकास के लिये, पंक्ति के अंतिम आदमी के विकास के लिये अपरिहार्य हैं। चाहे राजनीति हो या प्रशासन या कि सामान्य जीवन, हर जगह जिन लोगों के पास सत्ता और शक्ति है वहाँ निरंकुशता और भ्रष्टाचार जैसे अवगुण निर्णायक भूमिका में आ गए हैं।

इंसानी रिश्तों की बुनियाद में स्वार्थ आ गया है। जिनके हाथ में हमने सत्ता के संचालन की चाभी दी वही हमारे शोषण का कारण बन गए। जो हमारे सेवक थे, वे कब हमारे मालिक बन बैठे पता ही नहीं चला। चुनाव जीतने के बाद एक मंत्री, सांसद, विधायक या कि ग्राम प्रधान के रूप में हमारे जनप्रतिनिधियों के जो अधिकार हैं, उन्हें जो सुख-सुविधाएँ मिलती हैं- बंगला, गाड़ी, नौकर तथा अथाह पैसों वाली दुनिया, वह तो उन्हें याद रहती है परंतु आम आदमी के लिये उनके क्या कर्त्तव्य हैं, चुनाव के बाद वे यह भूल जाते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में राजनीति तथा प्रशासन में ऊपर से नीचे तक फैली लालफीताशाही और भ्रष्टाचार पर निराशा व्यक्त की है। समिति ने ऐसे प्रावधानों की भी सिफारिश की है जिससे कि हमारे 'महानुभावों' को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदार बनाया जा सके। प्रशासनिक कार्यालयों में अक्सर यह देखने में आता है कि विभाग के उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज़ करके उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। विभागीय जाँच में उन्हें निर्दोष करार दे दिया जाता है। समिति ने इस बात की सिफारिश की कि अगर भविष्य में क्लीन चिट प्राप्त अधीनस्थ भ्रष्टाचार के किसी मामले में पकड़ा जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी उस अधीनस्थ के साथ ही साथ उसके उच्च अधिकारी पर भी उतनी ही रहेगी। उच्च अधिकार प्राप्त हमारे नीति-नियंताओं में उत्तरदायित्व की वृद्धि के लिये नैतिक तथा प्रशासनिक आचार संहिता की भी सिफारिश की गई है। गांधी जी ने सात सामाजिक पापों का ज़िक्र किया था, वे हैं- बिना काम के धन, बिना अंतःकरण के आराम, बिना मानवता के विज्ञान, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना सिद्धांतों की राजनीति, बिना नैतिकता के व्यापार तथा बिना बलिदान के पूजा।

जिस प्रकार पेड़-पौधों में फल आने पर वे झुक जाते हैं उसी प्रकार हमें भी अधिकार प्राप्त करने के बाद दायित्वपूर्ण तथा विनम्र हो जाना चाहिये। सिर्फ राजनेता और अधिकारियों पर ही सारा दोष मढ़ने से एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे कर्त्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती, बल्कि हमें भी एक दूसरे के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति उतना ही ज़िम्मेदार होना चाहिये, जितना सजग और जागरूक हम संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों के प्रति होते हैं उतने ही हमें संविधान के अनुच्छेद 51क में बताए गए अपने मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति भी होना चाहिये। हमारे तमाम धर्मों, नीति कथाओं, साहित्य सब में दीन-दुखियों के सेवा की बात की गई है। अगर हम संपन्न और समृद्ध हैं तो हर ज़रूरतमंद के लिये हमारे मदद के हाथ अवश्य ही उठने चाहिये। किसी कवि ने कहा भी है कि-

2013 में पूछे गए निबंध

1 जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइये -गांधी जी। (Be the change you want to see in others – Gandhiji?)

लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी शहर में एक अंग्रेज़ पादरी की कब्र पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं-

"जब मैं जवान था तब मेरी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं थी, मैंने विश्व को बदल डालने का सपना देखा। जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ी और बुद्धि आई मुझे लगा कि दुनिया नहीं बदलेगी और मैंने अपने लक्ष्य को छोटा कर लिया और दुनिया को बदलने की बजाय अपने देश को बदल डालने का फैसला किया, लेकिन यह भी एक दुरूह कार्य जैसा ही लगा। जीवन के अंतिम दिनों में हताश होकर मैंने अंतिम प्रयास के रूप में खुद के परिवार को ही बदलने का फैसला किया, और उन लोगों को जो कि मेरे नज़दीक थे, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी बदल नहीं सका। और अब जबकि मैं अपनी मृत्युशैय्या पर हूँ, मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि अगर मैंने केवल खुद को बदल लिया होता तो अपनी प्रेरणा से अपने परिवार को भी बदल डालता, और परिवार वालों के सहयोग और उत्साहवर्द्धन से मैं अपने देश को बदलने के लायक हो जाता और क्या पता मैं दुनिया को भी बदल देता।"

उपर्युक्त घटना गांधी जी के इस कथन कि- *"जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइये"* की परिपुष्टि करती है और प्रासंगिक जान पड़ती है। *"एक इन्सान के रूप में हमारी महानता इसमें इतनी नहीं है कि हम इस दुनिया को बदलें, जितनी इसमें है कि हम अपने आप को बदल डालें।"* गांधी के स्वयं में परिवर्तन संबंधी कथन का ही यह दूसरा रूप है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सृष्टि की नवीनता के लिये यह बेहद ज़रूरी भी है। कुछ परिवर्तन शाश्वत होते हैं जिन पर चाहकर भी हमारा वश नहीं चल सकता जैसे कि मौसम का बदलना, बारिश का होना न होना, सूरज का उगना और ढल जाना तो कुछ परिवर्तन बेहद मानवीय किस्म के होते हैं जिन्हें मानव चाहकर बदल सकता है। यह उसके वश में होता है जिसमें उसके व्यक्तिगत स्वभाव से लेकर तमाम नवीन आविष्कार व भौतिक परिवर्तन शामिल हैं।

यह मानवीय प्रवृत्ति है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों और कर्त्तव्यों से तो बचना चाहते हैं परंतु अधिकार सुख का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। हम अपनी उपलब्धियों का सेहरा तो खुद के सर बड़े गर्व से बांधते हैं परंतु गलतियों का ठीकरा दूसरों पर ही फोड़ते हैं। कहा भी गया है कि *'पर उपदेश कुशल बहुतेरे।'* वर्तमान की गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा के दौर में इंसान दिन-ब-दिन स्वार्थी होता जा रहा है।

हम यह तो चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे हिसाब से बदल जाएँ परन्तु हम खुद को नहीं बदलते। हम दूसरे से इज्ज़त, स्वागत और प्यार तथा वफादारी तो पूरी मात्रा में चाहते हैं परन्तु खुद को उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा साबित कर रहे हैं इस बात का मूल्यांकन कभी नहीं करते हैं।

भला जब तक हम दूसरों को इज्ज़त और प्यार नहीं देंगे हम उनसे कैसे इसी की उम्मीद कर सकते हैं। हम मंचों पर बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं परन्तु उन बातों को अपने दैनिक जीवन में अमल में नहीं लाते हैं। कई बार उपरोक्त पादरी की तरह हम भी बड़े-बड़े सपने तो देखते हैं समाज को बदल डालने के, व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के परन्तु खुद को ही उनके अनुरूप नहीं बदलते। हमें लगता है कि हम पूर्ण हैं और हममें किसी भी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी भ्रम में हमारे द्वारा बदलाव के सभी सपने अधूरे रह जाते हैं। दरअसल बदलना हमें खुद को होता है पर हम सबसे पहले संसार को ही बदल डालना चाहते हैं, दूसरों से ढेर सारी उम्मीदें और अपेक्षाएँ पाल लेते हैं और जब हमारी ये उम्मीदें और अपेक्षाएँ पूरी नहीं होती तो हम खुद की बजाय उन्हीं लोगों को कोसने लगते हैं। गालिब का एक शेर है कि-

"उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा।"

वास्तव में ये चेहरे की धूल हमारे अवगुण और द्वेष ही हैं जो खुद हमें ही दूर करना है, आईना बदलने से हमारे दोष दूर नहीं हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भ्रष्टाचार, समाज में नारियों के खिलाफ होते अपराधों को लेकर तथा अन्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर हर दिन धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों की संख्या बढ़ती जा रही है, अन्ना के आंदोलन ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में एक लहर पैदा कर दी। गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन, सत्याग्रह का अहिंसात्मक रूप आज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। परंतु

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

दृष्टि The Vision

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 + 10 Booklets) (₹15,500/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(32 Booklets) (₹14,000/-)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(34 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

For UPPCS Mains (in English Medium)

Self Learning Module

19 GS + 1 Essay + 1 Compulsory Hindi Booklets
₹7000/-

Offer

Free 6 months subscription of Drishti Current Affairs Today magazine for comprehensive coverage of current affairs

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

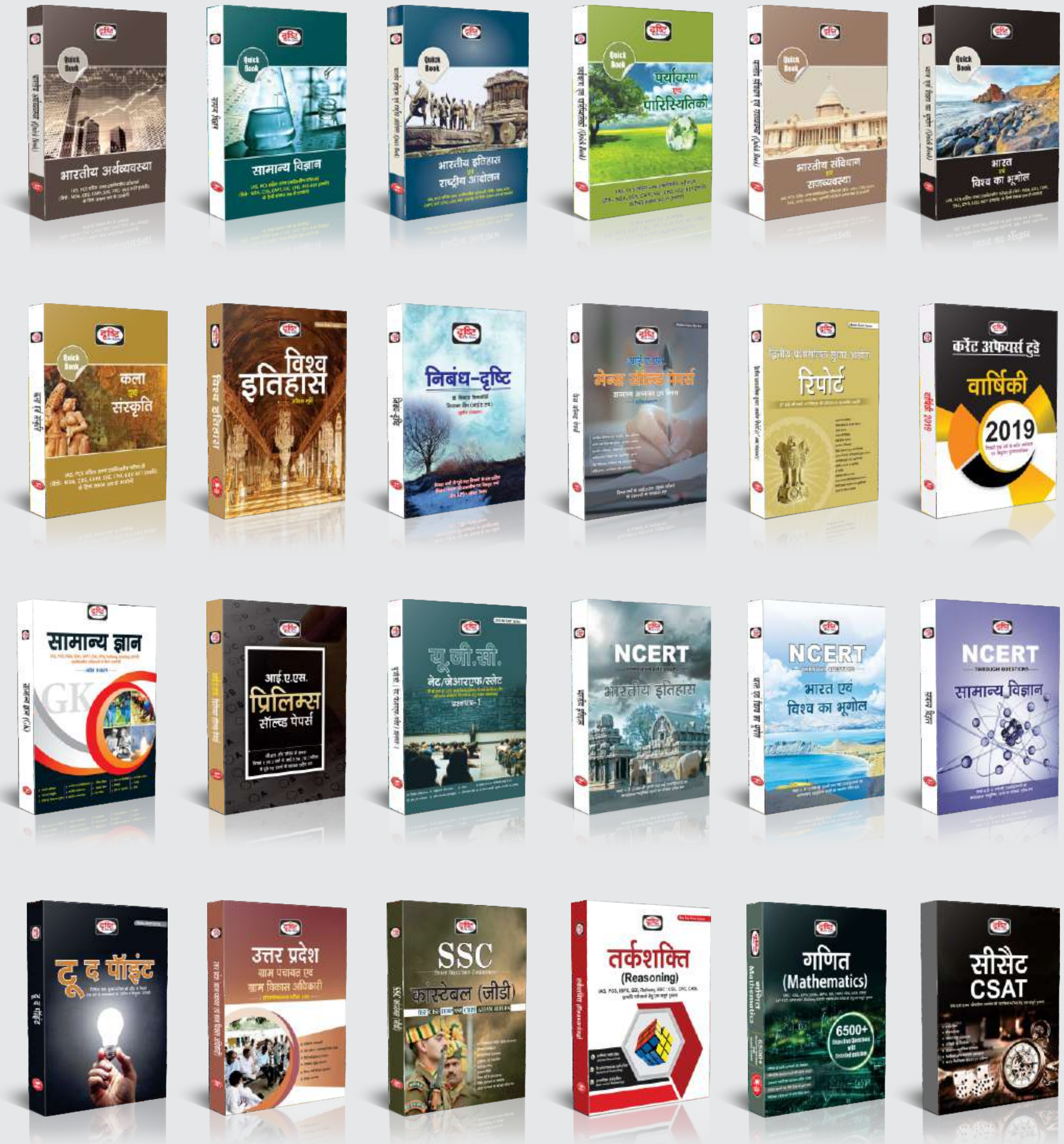

641, Ist Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

Ph.: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com

E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 360